रजिस्ट्री सं० डी० एल०-(एन)04/0007/2003-05 REGD. NO. D. L.-(N)-04/0007/2003-05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 45] नई दिल्ली, 2 नवम्बर—8 नवम्बर, 2003, शनिवार/कार्तिक 11—कार्तिक 17, 1925
No. 45] NEW DELHI, NOVEMBER 2—NOVEMBER 8, 2003, SATURDAY/KARTIKA 11—KARTIKA 17, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2003

सा. का. नि. 387.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1991 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1991 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची

1. पद का नाम	:	प्रशासनिक अधिकारी
2. पदों की संख्या	:	1*

(2003)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अनुसचिवीय
4. वेतनमान	:	10,000-325-15,200 रु.
5. चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	:	लागू नहीं होता
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	लागू नहीं होता
7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	लागू नहीं होता
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	लागू नहीं होता
9. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	:	लागू नहीं होता
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिक के लिए दो वर्ष
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	**प्रतिनियुक्ति** (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए) प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	:	**प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी :** (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 8000-13500 रु. या समतुल्य के वेतनमान में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की हो, या (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500-10500 रु. या समतुल्य के वेतनमान में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष सेवा की है, और (ख) जिनके पास प्रशासन, स्थापना और लेखा मामलों का पांच वर्ष का अनुभव है। **सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन** कैप्टन या समतुल्य पंक्ति के सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अनुभव हैं। यदि उनका चयन हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधन पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि पद पर वास्तविक नियुक्ति से पहले ही पात्र अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाता है या रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया है तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी। (सिविल पदों के प्रतिनिदेश से अधिवार्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन) (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	:	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:—** **(सशस्त्र बल कार्मिकों के पुनर्नियोजन की पुष्टि पर विचार करने के लिए)** 1. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग —अध्यक्ष 2. निदेशक/उप निदेशक, राजभाषा विभाग —सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा० सं० 14034/73/98-रा० भा० (प्रशि०)]

एस० रमणन, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल भर्ती नियम, भारत के राजपत्र के भाग-II खण्ड-3 उपखण्ड (i), में सा. का. नि. संख्या 143, दिनांक 9 मार्च, 1991 और तत्पश्चात् संशोधन, सा. का. नि. संख्या 516, दिनांक 30-12-2000 के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 27th October, 2003

G.S.R. 387.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute (Administrative Officer) Recruitment Rules, 1991, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, (Department of Official Language), Central Hindi Training Institute (Administrative Officer), Recruitment (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule to the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute (Administrative Officer) Recruitment Rules, 1991, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

1. Name of the post	:	Administrative Officer
2. Number of the post	:	1* (2003) *Subject to variation dependent on workload
3. Classification	:	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial
4. Scale of pay	:	Rs. 10,000-325-15,200
5. Whether selection or non-selection post	:	Not applicable
6. Age limit for direct recruits	:	Not applicable
7. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	:	Not applicable
8. Educational and other qualifications required for direct recruits	:	Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	:	Not applicable

10.	Period of probation, if any	: Two years for Armed Forces Personnel re-employed
11.	Method of recruitment whether by direct recuritment or by promotion or by deputation/absorption, and percentage of the posts to be filled by various methods.	: **Deputation :** (For Armed Forces Personnel) Deputation/Re-employment
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	: **Deputation** **Officers under the Central Government/State Government :** (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/ Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-13,500 or equivalent in the parent Cadre/Department; or (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10,500 or equivalent in the parent Cadre/Department; and (b) possessing five years' experience in Administration, Establishment and Accounts matters. **For Armed Forces Personnel :** **Deputation/Re-employment** The Armed Forces Personnel of the Rank of Captain or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officer will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts.) (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).
13.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	: **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of Armed Forces Personnel re-employed) :—** 1. Joint Secretary, Department of Official Language —Chairman 2. Director/Deputy Secretary, Department of Official Language —Member
14.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	: Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F. No. 14034/73/98-OL (Trg.)]

S. RAMANAN, Under Secy.

Foot Note :—The Principal Recruitment Rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 143 dated 9th March, 1991 and subsequently amendment *vide* G.S.R. 516, dated 30th December, 2000

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2003

सा०का०नि० 388.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1993 को अधिक्रान्त करके गृह मंत्रालय में समूह "घ" पद/पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय (समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इससे उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **चपरासी के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का होमगार्ड के रूप में प्रशिक्षण करने का दायित्व**,—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति सिवाय उन व्यक्तियों के जो तीन वर्षों की अवधि के लिए होम गार्ड के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा ऐसा प्रशिक्षण लेने में शारीरिक रूप से निशक्त हैं :

परन्तु यह कि महा कमाडेंड, होम गार्ड प्रशिक्षण की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण में प्राप्त किए गए कार्य और प्रशिक्षण मानकों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके ऐसी अवधि को दो वर्ष कर सकेगा।

6. **निरर्हता** :— वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. 1. पद का नाम	:	ज्येष्ठ पुस्तकालय परिचर
2. पदों की संख्या	:	01* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ", अराजपत्रित, अननुसचिवीय
4. वेतनमान	:	2750-70-3800-75-4400 रु.
5. चयन सह ज्येठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	:	अचयन
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	लागू नहीं होता

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	लागू नहीं होता
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	लागू नहीं होता
9. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	:	लागू नहीं होता
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं होता
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	प्रोन्नति द्वारा।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	:	गृह मंत्रालय में ऐसे दफ्तरी/ज्येष्ठ चपरासी में से प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर गृह मंत्रालय में चपरासी द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	:	समूह ''घ'' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्न होंगे :—
		1. अवर सचिव (प्रशासन-II), गृह मंत्रालय —अध्यक्ष
		2. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-II), गृह मंत्रालय —सदस्य
		3. अनुभाग अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग —सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	:	लागू नहीं होता ।

2. 1 : कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर

2 : 04* (2003)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''घ'' अराजपत्रित, अननुसचिवीय

4 : 2750-70-3800-75-4400 रु०

5 : अचयन

6 : लागू नहीं होता

7 : 18 से 25 वर्ष के बीच

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।

टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 :—रोजगार कार्यालयों से अभ्यार्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8 : (i) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से मिडिल स्कूल उत्तीर्ण
(ii) गेस्टेटनर मशीन के प्रचालन और अनुरक्षण में प्रवीणता।

9 : आयु : नहीं आवश्यक अर्हता : हां

10 : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

	11	:	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
	12	:	**प्रोन्नति :** ऐसे दफ्तरी/ज्येष्ठ चपरासी में से जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास गेस्टेटनर मशीन के प्रचालन और अनुरक्षण कार्य में प्रवीणता है। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन:** 1. केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (क) जो 2610-60-2910-65-3300-70-4000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर कम से कम चार वर्ष से पद धारण किए हुए हैं, (ख) जो सदृश पद या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं, 2. जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ सं. 8 में अभिकथित शैक्षिक अर्हता है।
	13.	:	समूह ''घ'' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. अवर सचिव (प्रशासन-II), गृह मंत्रालय —अध्यक्ष 2. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-II), गृह मंत्रालय —सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) —सदस्य
	14.	:	लागू नहीं होता।
3.	1	:	दफ्तरी
	2	:	85* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
	3	:	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''घ'' अराजपत्रित
	4	:	2610-60-2910-65-3300-70-4000 रु०
	5	:	अचयन
	6	:	लागू नहीं होता
	7	:	लागू नहीं होता
	8	:	लागू नहीं होता
	9	:	लागू नहीं होता
	10	:	लागू नहीं होता
	11	:	प्रोन्नति द्वारा
	12	:	गृह मंत्रालय में ऐसे चपरासी की प्रोन्नति जिसने उस श्रेणी में कम से कम चार वर्ष सेवा की है।
	13.	:	समूह ''घ'' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. अवर सचिव (प्रशासन-II), गृह मंत्रालय —अध्यक्ष 2. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-II), गृह मंत्रालय —सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) —सदस्य
	14.	:	लागू नहीं होता।
4.	1	:	ज्येष्ठ चपरासी
	2	:	19* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
	3	:	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''घ'' अराजपत्रित,
	4	:	2610-60-2910-65-3300-70-4000 रु०

5 : अचयन

6 : लागू नहीं होता

7 : लागू नहीं होता

8 : लागू नहीं होता

9 : लागू नहीं होता

10 : लागू नहीं होता

11 : प्रोन्नति द्वारा

12 : गृह मंत्रालय में ऐसे चपरासी जिसने उस श्रेणी में चार वर्ष सेवा की है।

13 : समूह ''घ'' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. अवर सचिव (प्रशासन-II), गृह मंत्रालय	—अध्यक्ष
2. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-II), गृह मंत्रालय	—सदस्य
3. अनुभाग अधिकारी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)	—सदस्य

14 : लागू नहीं होता

---

5. 1 : चपरासी

2 : 225* (2003)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''घ'' अराजपत्रित, अननुसचिवीय

4 : 2550-55-2600-60-3200 रु०

5 : अचयन

6 : लागू नहीं होता

7 : 18 से 25 वर्ष के बीच

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।

टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 :—रोजगार कार्यालयों से अभ्यार्थयों की दशा में आयु-सीमा अवधारित धारित करने के लिए निणार्यक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8 : आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण।
वांछनीय : होमगार्ड और सिविल रक्षा में बुनयादी और पुनश्चर्या पाठयक्रम में प्रशिक्षण।

9 : लागू नहीं होता

10 : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

11 : 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 25 प्रतिशत आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12 : आमेलन द्वारा 2550-3200 रु. के वेतनमान में गृह मंत्रालय के ऐसे समूह ''घ'' कर्मचारियों से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। उसके पास प्राथमिक साक्षरता भी होनी चाहिए और उसे हिन्दी, अग्रेजी या किसी क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने में समर्थ होने का सबूत देना होगा।

13. : समूह ''घ'' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. अवर सचिव (प्रशासन-II), गृह मंत्रालय —अध्यक्ष
2. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-II), गृह मंत्रालय —सदस्य
3. अनुभाग अधिकारी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) —सदस्य

14. : लागू नहीं होता

---

6. 1 : फराश

2 : 12* (2003)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3 : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''घ'' अराजपत्रित, अननुसचिवीय

4 : 2550-55-2660-60-3200 रु०

5 : लागू नहीं होता

6 : लागू नहीं होता

7 : 18 से 25 वर्ष के बीच

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)

टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 :—रोजगार कार्यालयों से अभ्यार्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भोजने के लिए कहा गया है।

8 : वांछनीय : मान्यता प्राप्त विद्यालय से प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण

9 : लागू नहीं होता

10 : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

11 : नियमित सफाई वाला के आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12 : आमेलन द्वारा :

गृह मंत्रालय (वास्तविक) के ऐसे नियमित सफाई वाले द्वारा जिसने ऐसे आमेलन के लिए आवेदन किया है।

13. : लागू नहीं होता

14. : लागू नहीं होता

---

7. 1 : सफाई वाला

2 : 21* (2003)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3 : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''घ'' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय

4 : 2550-55-2660-60-3200 रु०

5 : लागू नहीं होता

6 : लागू नहीं होता

7 : 18 से 25 वर्ष के बीच

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)

टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 :—रोजगार कार्यालयों से अभ्यार्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8 : वांछनीय : मान्यताप्राप्त विद्यालय से प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण।

9 : लागू नहीं होता

10 : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

11 : सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा।

12 : ऐसे व्यक्तियों के आमेलन द्वारा जो केन्द्रीय सरकार में ऐसे सदृश/समतुल्य पद धारण किए हुए हैं।

13. : लागू नहीं होता

14. : लागू नहीं होता

[फा. सं. ए.-42012/17/2003-प्रशा. II]

एस. के. भटनागर, अवर सचिव

New Delhi, the 29th October, 2003

G.S.R. 388.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1993 the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'D' posts in the Ministry of Home Affairs namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scales of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Liability of persons appointed as Peons to undergo training as Home Guards notwithstanding anything contained in these rules, every person appointed as Peon under these rules shall undergo training as a Home Guard for a period of three years except those who are physically handicapped to undergo such training :

Provided that the Commandant General, Home Guards, may having regard to the performance of and standard of training achieved by any person during the period of training reduce such period of two years for reasons to be recorded in writing.

6. **Disqualifications.**— No person,—

(a) Who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into, or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orders and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	1.	Name of the post	: Senior Library Attendant
	2.	Number of post	: 1* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
	3.	Classification	: General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted Non-Ministerial
	4.	Scale of pay	: Rs. 2750-70-3800-75-4400.
	5.	Whether selection post or non-selection post	: Non-selection
	6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	: Not applicable
	7.	Age for direct recruits	: Not applicable
	8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	: Not applicable
	9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	: Not applicable
	10.	Period of probation, if any	: Not applicable
	11.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods	: By Promotion
	12.	In case of recruitment by promotion / deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	: Promotion from Daftries/Senior Peons in Ministry of Home Affairs, who have rendered four years regular service in the grade failing which by peons in Ministry of Home Affairs who have rendered 8 years regular service in the grade.
	13.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	: **Group 'D' Departmental Promotion Committee, consisting of :—** Under Secretary (Administration-II) Ministry of Home Affairs—Chairman Section Officer (Administration-II) Ministry of Home Affairs—Member. Section Officer, Department of Personnel and Training—Member.
	14.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	: Not applicable

2. 1. : Junior Gestetner Operator

2. : 4* (2003)
*Subject to variation dependent on workload.

3. : General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted Non-Ministerial

4. : Rs. 2750-70-3800-75-4400.

5. : Non-Selection

6. : Not applicable

7. : Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in case of general candidates and upto 45 years in case of Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note 1. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District

and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

Note 2. The crucial date for determining the age-limit in the case of candidate from Employment Exchanges shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.

8. : (i) Middle School standard pass from a recognized School

(ii) Proficiency in operating and maintaining Gestetner machines.

9. : Age—No Eudcational Qualification—Yes

10. : Two year for direct recruits.

11. : By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.

12. : **Promotion :**

Daftries/Senior peons with four years regular service in the grade and having proficiency in operation and maintaining Gestetner machine.

Deputation/Absorption

1. Officers of the Central Government :—

(a) holding post in the pay scale of Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000 or equivalent on regular basis for at least four years.

(b) holding analogous posts or equivalent posts; and

2. possessing educational qualifications as laid down for direct recruits in column No. 8.

13 : **Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :—**

Under Secretary (Administration-II)

Ministry of Home Affairs—Chairman

Section Officer (Administration-II)

Ministry of Home Affairs—Member.

Section Officer, Department of

Personnel and Training—Member.

14. : Not applicable

---

3. 1. : Daftry

2. : 85* (2003)

*Subject to variation dependent on workload.

3. : General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted

4. : Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000.

5. : Non-Selection

6. : Not applicable

7. : Not applicable

8. : Not applicable

9 : Not applicable

10. : Not applicable

11. : By promotion

12. : Peons in the Ministry of Home Affairs who have rendered four years service in the grade.

13. : **Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :—**

Under Secretary (Administration-II)

Ministry of Home Affairs—Chairman

Section Officer (Administration-II)

Ministry of Home Affairs—Member

Section Officer, Department of

Personnel and Training—Member.

14. : Not applicable

4. 1. : Senior Peon
2. : 19* (2003)
*Subject to variation dependent on workload.
3. : General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted
4. : Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000.
5. : Non-Selection
6. : Not applicable
7. : Not applicable
8. : Not applicable
9. : Not applicable
10. : Not applicable
11. : By promotion
12. : Peons in Ministry of Home Affairs who have rendered four years service in the grade.
13. : **Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :—**
Under Secretary (Administration-II), Ministry of Home Affairs—Chairman
Section Officer (Administration-II), Ministry of Home Affairs—Member.
Section Officer, Department of Personnel and Training—Member.
14. : Not applicable

---

5. 1. : Peon
2. : 225* (2003)
*Subject to variation dependent on workload.
3. : General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted Non-Ministerial
4. : Rs. 2550-55-2660-60-3200.
5. : Non-Selection
6. : Not applicable
7. : Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in case of general candidates and upto 45 years in case of Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)

Note 1. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

Note 2. The crucial date for determining the age-limit in the case of candidate from Employment Exchanges shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.

8. : **Essential :**
Middle School standard pass from a recognized School.
Desirable :
Training in Basic and refresher courses in Home Guards and Civil Defence.
9. : Not applicable
10. : Two year for direct recruitment.
11. : Seventy Five per cent by direct recruitment and twenty five per cent by absorption failing which by direct recruitment.
12. : **By absorption :**
Group 'D' employees of the Ministry of Home Affairs in the pay scale of Rs. 2550-3200/- who have five years regular service in the grade. They should also possess elementary literacy and give proof of their ability to read either Hindi, English or a regional language.

---

13. : Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :—
Under Secretary (Administration-II), Ministry of Home Affairs—Chairman
Section Officer (Administration-II), Ministry of Home Affairs—Member
Section Officer, Department of Personnel and Training—Member.

14. : Not applicable

---

6. 1. : Farash

2. : 12* (2003)
*Subject to variation dependent on workload.

3. : General Central Service, Group 'D', (Non-Gazetted) Non-Ministerial

4. : Rs. 2550-55-2660-60-3200.

5. : Not applicable

6. : Not applicable

7. : Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in case of general candidates and upto 45 years in case of Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)

Note 1. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Trritory of Lakshadweep).

Note 2. The crucial date for determining the age-limit in the case of candidate from Employment Exchanges shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.

8. : **Desirable :**
Primary Standard Pass from a recognized School.

9. : Not applicable

10. : Two years for direct recruits.

11. : By absorption of regular safaiwalas, failing which by direct recruitment.

12. : **By absorption:**
Regular Safaiwalas of Ministry of Home Affairs (Proper) who apply for such absorption.

13. : Not applicable

14. : Not applicable

---

7. 1. : Safaiwala

2. : 21* (2003)
*Subject to variation dependent on workload.

3. : General Central Service, Group 'D', (Non-Gazetted) Non-Ministerial

4. : Rs. 2550-55-2660-60-3200.

5. : Not applicable

6. : Not applicable

7. : Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in case of general candidates and upto 45 years in case of Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)

Note 1. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

Note 2. The crucial date for determining the age-limit in the case of candidate from Employment Exchanges shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.

8. : **Desirable :**
Primary Standard Pass from a recognized School.

9. : Not applicable

10. : Two years for direct recruits.

11. : By direct recruitment, failing which by absorption.

12. : By absorption of persons holding similar/equivalent posts in the Central Government.

13. : Not applicable

14. : Not applicable

[F. No. A-42012/17/2003-Ad. II]

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training Division)

(TRAINING DIVISION)

AMENDMENT

New Delhi, the 28th October, 2003

G.S.R. 389.—Notification of amendment in RRs for the post of Electrician in LBSNAA, Mussoorie is hereby published. The following discrepancy have been noticed that in the Notification published vide GSR 265 in Gazette dated 26-7-2003.

Hindi version in original	Published
1 (i) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी बिजली मिस्त्री संशोधन भर्ती नियम, 2003 है।	इन नियमों का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी बिजली मिस्त्री भर्ती नियम, 2003 है।
English version in original	
1 (i) These rules may be called Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Electrician Amendment Recruitment Rules, 2003	These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Electrician Recruitment Rules 2003

[F. No. 13012/1/2000-Acad(Desk)]

D. N. UPPAL, Senior Research Officer

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2003

सा.का.नि. 390.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा शर्त) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा शर्त) संशोधन नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा शर्त) नियम, 1987 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,

(i) "स्वर्ण (नियंत्रण)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते है, "सेवाकर" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "ज्येष्ठ उपाध्यक्ष" शब्दों, जहां-जहां वे आते हैं, का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 2 में, खंड (ङ) का लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमों के नियम 11 का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 12 के उप-नियम (1) में, केन्द्रीय सरकार एक या अधिक सदस्यों को, यथास्थिति, उपाध्यक्ष या उनके उपाध्यक्षों के रूप में नियुक्त कर सकेगी शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"केन्द्रीय सरकार, नियम 6 के उप-नियम (3) के अधीन चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश पर एक या अधिक सदस्यों को यथास्थिति उपाध्यक्ष या उनके उपाध्यक्षों के रूप में नियुक्त कर सकेगी"

6. उक्त नियमों के नियम 14 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के वेतनमान निम्नवत् होंगे :—

अध्यक्ष	26,000 रु. (प्रतिमास) (नियत)
उपाध्यक्ष	24,050-650-26000/-
सदस्य	22,400-600-26000/-

[सं. 10/2003/फा.सं. 27/4/2002-एडी 1-सी]

प्रशान्त, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 29th October, 2003

G.S.R. 390.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes rules further to amend the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1987, namely:—

1. (1) These rules may be called the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coustoms, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1987, (hereinafter referred to as the said rules),—

(i) for the words and brackets "Gold (Control)", wherever they occur, the words "Service Tax" shall be substituted;

(ii) the words "Senior Vice-President" wherever they occur, shall be omitted.

3. In rule 2 of the said rules, clause (e) shall be omitted.

4. Rule 11 of the said rules shall be omitted.

5. In rule 12 of the said rules, in sub-rule (1), for the words "The Central Government may appoint" the following words, brackets and figures shall be substituted, namely :—

"The Central Government may, on the recommendation made by the Selection Committee under sub-rule (3) of rule 6, apppoint".

6. In rule 14 of the said rules for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The pay-scales of the President, the Vice-President and the member shall be as under :—

President	Rs. 26,000/- per mensem (fixed)
Vice-President	Rs. 24,050-650-26,000/-
Member	Rs. 22,400-600-26,000/-."

[No. 10/2003 F. No. 27/4/2002-Ad. 1-C]

PRASHANT, Director

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2003

सा.का.नि. 391.—केन्द्रीय सरकार, औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 36 की उपधारा (1) के अनुसरण में उक्त संस्थान के व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के निम्नलिखित प्रथम परिनियमों को प्रकाशित करती हैं :—

राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के परिनियम

1. **संक्षिप्त नाम**

इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिनियम है।

2. **परिभाषाएं**

(क) ''अधिनियम'' से राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 अभिप्रेत है;

(ख) ''विद्या योजना तथा विकास समिति'' से संस्थान की विद्या संबंधी योजना तथा विकास समिति अभिप्रेत है;

(ग) ''प्राधिकारियों '', ''अधिकारियों'' तथा ''प्रोफेसरों'' से संस्थान के क्रमश: प्राधिकारी, अधिकारी तथा प्रोफेसर अभिप्रेत हैं;

(घ) ''बोर्ड'' से संस्थान का व्यवस्थापक बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) ''अध्यक्ष'' से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(च) ''संकायाध्यक्ष'' से संस्थान का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) ''निदेशक'' से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;

(ज) ''वित्त समिति'' से संस्थान की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(झ) ''विभागाध्यक्ष'' से संस्थान के संबंधित विभाग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ञ) ''संस्थान'' से राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 के अधीन निगमित राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर अभिप्रेत है;

(ट) ''प्रयोगशाला सेवा, भवन और निर्माण समिति'' से संस्थान की प्रयोगशाला सेवा, भवन और निर्माण समिति अभिप्रेत है;

(ठ) ''अध्यादेश'' से संस्थान के अध्यादेश अभिप्रेत है;

(ड) ''प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी'' से संस्थान का प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी अभिप्रेत है;

(ढ) ''प्रधान विज्ञान अधिकारी'' से संस्थान का प्रधान विज्ञान अधिकारी अभिप्रेत है;

(ण) ''रजिस्ट्रार'' से संस्थान का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(त) ''सीनेट'' से संस्थान का सीनेट अभिप्रेत है;

(थ) संस्थान के निवास के हाल के संबंध में ''वार्डन'' से उसका वार्डन अभिप्रेत है।

3. **बोर्ड, सीनेट तथा समितियां**

3.1 **बोर्ड**

3.1.1 **संरचना**

बोर्ड की संरचना अधिनियम की धारा 4 (3) के उपबंधों के अनुसार होगी।

3.1.2 **कृत्य तथा शक्तियां**

अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों के अतिरिक्त, बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

(क) निधियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उपलब्धियां अवधारित करना तथा संस्थान के कर्मचारियों के कर्तव्यों तथा सेवा की शर्तों को परिभाषित करना;

(ख) उन प्रोफेसरों, सह प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों तथा अन्य कर्मचारिवृंद की समतुल्य ग्रेडों में नियुक्ति करना, जो इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समितियों की सिफारिश पर आवश्यक हों;

(ग) परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना तथा लागू करना;

(घ) संस्थान के वित्तों, लेखों, विनिधानों, संपत्ति, कारबार तथा सभी अन्य प्रशासनीय कार्यों का प्रबंध करना तथा उन्हें विनियमित करना और इस प्रयोजन के लिए उतने अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना, जितने वह ठीक समझे;

(ङ.) वित्त समिति की सिफारिशों पर किसी वर्ष के लिए आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करना;

(च) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संस्थान के किसी धन का, जिसके अंतर्गत कोई अनुपयोजित आय भी है, ऐसी रीति में निवेश करना, जो वह ठीक समझे या भारत में अचल संपत्ति के क्रय में विनिधान करना;

(छ) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संस्थान की ओर से किसी भी चल या अचल संपत्ति का अंतरण करना या अंतरणों को स्वीकार करना;

(ज) संस्थान के कार्यों की चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधित्र तथा अन्य साधन उपलब्ध कराना;

(झ) संस्थान की ओर संविदाएं करना, उनमें फेरफार करना, उनका निष्पादन तथा उन्हें रद्द करना;

(ञ) संस्थान के कर्मचारियों की किन्हीं शिकायतों पर विचार करना, उन पर निर्णय देना तथा उचित पाए जाने पर उन्हें दूर करना;

(ट) संस्थान के लिए एक सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा तथा प्रयोग के लिए उपबंध करना;

(ठ) अपनी ऐसी किसी भी शक्ति को संस्थान के अध्यक्ष, निदेशक, संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार या ऐसे अन्य कर्मचारी या प्राधिकारी को या उसके द्वारा नियुक्त समिति को प्रत्यायोजित करना, जिसे वह ठीक समझे;

(ड) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना, जो अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाए;

3.1.3 अधिवेशन

(क) बोर्ड के अधिवेशन साधारणतया वर्ष में तीन बार होंगे।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन अध्यक्ष द्वारा स्वयं की पहल पर या निदेशक के अनुरोध पर या बोर्ड के तीन से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांगपत्र के द्वारा बुलाए जाएंगे। मांगपत्र द्वारा बुलाया गया अधिवेशन विशेष अधिवेशन होगा, जिस पर कार्यसूची की केवल उन्हीं मदों पर विचार-विमर्श किया जाएगा जिनके लिए मांग की गई है। मांगपत्र द्वारा बुलाया गया अधिवेशन अध्यक्ष द्वारा ऐसे मांगपत्र की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर उसकी सुविधानुसार तारीख और समय पर बुलाया जाएगा।

(ग) बोर्ड के अधिवेशन के लिए अपेक्षित गणपूर्ति वास्तविक सदस्य-संख्या का 1/3 भाग होगी।

(घ) रजिस्ट्रार ऐसे अधिवेशन की तारीख से तीन सप्ताह से अन्यून की सूचना देकर बोर्ड के सदस्यों को अधिवेशन में आमंत्रित करेगा। सदस्य, यथास्थिति, अपनी शासकीय/व्यक्तिगत हैसियत से अधिवेशन में उपस्थित होंगे। तथापि, सूचना की अवधि अध्यक्ष/निदेशक तथा बोर्ड के तीन अन्य सदस्यों की पूर्व सहमति से कम या समाप्त की जा सकेगी।

(ङ) रजिस्ट्रार द्वारा अधिवेशन से कंम से कम एक सप्ताह पूर्व बोर्ड के सदस्यों को कार्यसूची भेजी जाएगी। अध्यक्ष ऐसी किसी भी मद को सम्मिलित करने की अनुज्ञा दे सकेगा, जिसके लिए सम्यक् सूचना नहीं दी जा सकी हो।

(च) बोर्ड अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा सभी मामलों का विनिश्चय करेगा। मत के बराबर रहने की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

(छ) अध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में निदेशक अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा :

परन्तु यदि अध्यक्ष तथा निदेशक अनुपस्थित हैं तथा विचारणीय मामले तात्कालिक और महत्वपूर्ण हैं, तब उपस्थित सदस्य विशिष्ट मामले पर विचार करने के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य का निर्वाचन करेंगे।

(ज) अधिवेशन में प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(झ) यदि बोर्ड का कोई सदस्य, अनुपस्थित रहने के लिए बोर्ड की अनुमति के बिना निरंतर तीन अधिवेशनों में उपस्थित होने में असफल रहता है तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

(ञ) बोर्ड के सभी आदेश तथा विनिश्चय रजिस्ट्रार या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर से प्रमाणित किए जाएंगे।

(ट) बोर्ड के अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किए जाएंगे और बोर्ड के सभी उपस्थित सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे। सुझाए गए संशोधनों सहित, यदि कोई हो, कार्यवृत्त को बोर्ड के अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिए रखा जाएगा। कार्यवृत्त की पुष्टि करने और अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् उसे कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा जो कार्यालय समय के दौरान सभी समयों पर बोर्ड के सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखी जाएगी।

3.2 सीनेट

3.2.1 संरचना

अधिनियम की धारा 13 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति सीनेट के सदस्य होंगे :—

(क) निदेशक—जो सीनेट का अध्यक्ष होगा।

(ख) संकायाध्यक्ष।

(ग) अधिनियम की धारा 13(ग) के अनुसार नामनिर्दिष्ट संस्थान के पांच प्रोफेसर।

(घ) अधिनियम की धारा 13(घ) के अनुसार नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति।

(ङ.) चक्रानुक्रम में नियुक्त संस्थान का एक सह-प्रोफेसर।

(च) चक्रानुक्रम में संस्थान का एक सहायक प्रोफेसर।

(छ) उपरोक्त द्वारा प्रतिनिधित्व रहित किसी भी विभाग का विभागाध्यक्ष।

3.2.2 कृत्य

अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सीनेट निम्नलिखित कृत्य करेगी :

(क) विभिन्न विभागों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विवरण तैयार करना और उन्हें पुनरीक्षित करना।

(ख) परीक्षाओं के संचालन के लिए व्यवस्थाएं करना।

(ग) परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना तथा डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के संबंध में बोर्ड को सिफारिशें करना।

(घ) संस्थान के विभागों/केंद्रों के लिए, उनके कार्यों से संबंधित शैक्षणिक मामलों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए सलाहकार समितियों या विशेषज्ञ समितियों या दोनों की नियुक्ति करना; संबंधित विभागों /केन्द्रों के अध्यक्ष ऐसी समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

(ङ) सीनेट द्वारा ऐसी किसी समिति को निर्दिष्ट किए गए अनुसार ऐसे विनिर्दिष्ट शैक्षणिक मामलों के संबंध में सलाह देने के लिए संस्थान के संकाय सदस्यों में से समितियों तथा बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्ति करना।

(च) विभिन्न विभागों/केन्द्रों से संबद्ध सलाहकार समितियों की तथा विशेषज्ञ तथा अन्य समितियों की सिफारिशों पर विचार करना तथा यथापेक्षित कार्रवाई करना।

(छ) विभागों /केन्द्रों के कार्य का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना तथा यथापेक्षित उचित कार्रवाई करना।

(ज) पुस्तकालय तथा सूचना सेवा/केन्द्रीय सहायता केन्द्र तथा किसी अन्य गैर-शिक्षण विभाग/केन्द्र के कार्य का समय-समय पर पुनरीक्षण करना तथा यथापेक्षित कार्रवाई करना।

(झ) संस्थान के कार्य, प्रवेश अनुशासन, उपस्थिति, अध्येतावृत्ति, वजीफा, छात्रवृत्ति, मैडल और पुरस्कार प्रदान किए जाने, फीसों, आवासों, रियायतों तथा कैम्पस जीवन-उपस्थिति के संबंध में ऐसे विनियम और नियम बनाना, जो परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हों।

(ञ) संस्थान की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य अधीक्षण करना और शिक्षा पद्धति और संस्थाओं में सहकारी शिक्षण संबंधी निर्देश देना।

(ट) स्वयं की पहल पर या किसी विभाग /केन्द्र या बोर्ड द्वारा निदेश किए जाने पर सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना तथा उस पर उचित कार्रवाई करना।

3.2.3 **अधिवेशन**

(क) सीनेट का अधिवेशन उतनी बार, जितना आवश्यक हो, किन्तु छह मास में कम से कम एक बार होगा।

(ख) सीनेट के अधिवेशन सीनेट के अध्यक्ष द्वारा स्वयं की पहल पर या सीनेट के बीस प्रतिशत से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांगपत्र दिये जाने पर बुलाया जाएगा। मांगपत्र द्वारा बुलाया गया अधिवेशन विशेष अधिवेशन होगा, जिसमें कार्यवृत्त की केवल उन्हीं मदों पर विचार किया जाएगा जिनके लिए अधिवेशन बुलाने की मांग की गई है। मांगपत्र द्वारा बुलाया गया अधिवेशन अध्यक्ष द्वारा ऐसे मांगपत्र की प्राप्ति से पंद्रह दिन के भीतर उसकी सुविधानुसार तारीख और समय पर बुलाया जाएगा। अधिवेशन की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक-तिहाई सदस्य उपस्थित होने चाहिएं।

(ग) निदेशक सीनेट के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में संकायाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा तथा निदेशक और संकायाध्यक्ष, दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित ज्येष्ठतम प्रोफेसर अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(घ) निदेशक, आवश्यक मामलों पर विचार करने के लिए अल्प सूचना पर सीनेट का आपातकालीन अधिवेशन बुला सकेगा।

(ङ) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में सीनेट के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(च) सीनेट के अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किए जाएंगे और सीनेट के सभी सदस्यों को भेजे जाएंगे। सुझाए गए संशोधनों, यदि कोई हों, सहित कार्यवृत्त को सीनेट के अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिए रखा जाएगा। कार्यवृत्त के सीनेट के अध्यक्ष द्वारा पुष्टि तथा हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात् उसे कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा, जिसे कार्यालय समय के दौरान सभी समयों पर सीनेट के सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा जाएगा।

(छ) सीनेट के सभी आदेश तथा विनिश्चय, रजिस्ट्रार या इस निमित्त सीनेट द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर से प्रमाणित किए जाएंगे।

3.3 **विद्या योजना और विकास समिति**

यह घोषित किया जाता है कि विद्या योजना और विकास समिति अधिनियम की धारा 12 के अर्थान्तर्गत एक प्राधिकरण भी होगी।

3.3.1 **संरचना**

3.3.1.1 **समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—**

(क) व्यवस्थापक द्वारा संस्थान के बाहर से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला सजातीय विद्याओं का एक विख्यात शिक्षाविद्/वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद, जो उक्त समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) संस्थान का निदेशक;

(ग) निदेशक के परामर्श से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट संस्थान का एक प्रोफेसर;

(घ) शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं से और औषधीय उद्योगों से औषध निर्माण और संबद्ध विज्ञानों की विभिन्न विद्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाले छह अन्य विशेषज्ञ, जिन्हें निदेशक की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा; तथा

(ङ) संकायाध्यक्ष, जो सदस्य सचिव होगा।

समिति प्रत्येक तीन वर्षों में पुनर्गठित की जाएगी। खंड 3.3.1.1 (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होंगे तथा उनके स्थान पर नये नामनिर्देशन किए जाएंगे। तथापि, प्रथम समिति में क्रमशः एक-तिहाई सदस्य एक वर्ष के पश्चात् तथा और एक-तिहाई सदस्य दो वर्ष के पश्चात् सेवानिवृत्त होंगे।

3.3.2 **कृत्य**

(क) विद्या संबंधी योजना और विकास के संबंध में बोर्ड को सहायता और सलाह देना तथा संस्थान के शैक्षणिक अनुसंधान तथा अन्य गतिविधियों को मानीटर करना।

(ख) (i) कर्मचारिवृन्द के पदों के सृजन तथा उन्हें समाप्त करने, तथा (ii) ऐसे पदों से संबद्ध उपलब्धियों और कर्त्तव्यों के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करना।

(ग) शिक्षण और अनुसंधान में अंतर-अनुशासनिक सहयोग के लिए उपायों का सुझाव देना।

3.3.3 **अधिवेशन**

(क) विद्या योजना और विकास समिति के अधिवेशन उतनी बार, जितनी आवश्यक हो, किन्तु वर्ष में कम से कम दो बार होंगे।

(ख) विद्या योजना और विकास समिति के अधिवेशन निदेशक द्वारा बुलाए जाएंगे। समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संकायाध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। अधिवेशन में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित होने चाहिएं।

3.4 **वित्त समिति**

यह घोषित किया जाता है कि वित्त समिति अधिनियम की धारा 12 के अर्थान्तर्गत एक प्राधिकरण होगी।

3.4.1 **संरचना**

3.4.1.1 **समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :**

(क) संस्थान का निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) संकायाध्यक्ष, जो निदेशक की अनुपस्थिति में अधिवेशन का अध्यक्ष भी होगा;

(ग) भारत सरकार के रसायन और पैट्रो रसायन विभाग का निदेशक (वित्त)/उप वित्तीय सलाहकार;

(घ) शिक्षा, अनुसंधान तथा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति;

(ङ) रजिस्ट्रार जो सदस्य सचिव होगा।

3.4.1.2 **समिति का प्रत्येक तीन वर्ष में पुर्नगठन किया जाएगा।**

3.4.2 **कृत्य**

(क) लेखाओं की परीक्षा करना तथा व्यय संबंधी प्रस्तावों की संवीक्षा करना।

(ख) संस्थान के वास्तविक लेखाओं तथा वित्तीय परिकलनों पर विचार करना और उन्हें बोर्ड को प्रस्तुत करना।

(ग) संस्थान की आय और संसाधनों के आधार पर वर्ष के कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करना।

3.4.3 **अधिवेशन**

समिति के अधिवेशन, उतनी बार, जितने आवश्यक हों, किन्तु वर्ष में कम से कम दो बार होंगे। अधिवेशन की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित होने चाहिए।

3.5 **प्रयोगशाला सेवा, भवन और निर्माण समिति**

यह घोषित किया जाता है कि भवन और निर्माण समिति अधिनियम की धारा 12 के अर्थान्तर्गत एक प्राधिकरण भी होगी।

3.5.1 **संरचना**

समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(क) निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ख) संकायाध्यक्ष, जो निदेशक की अनुपस्थिति में अधिवेशनों की अध्यक्षता भी करेगा;

(ग) बोर्ड का एक नामनिर्देशिती;

(घ) भारत सरकार के रसायन और पैट्रो रसायन विभाग का निदेशक (वित्त)/उप वित्तीय सलाहकार या उसका नामनिर्देशिती;

(ङ) भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एक अधिकारी, जो अधीक्षण इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का न हो, या उसका नामनिर्देशिती जो कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का न हो;

(च) संस्थान के निदेशक के परामर्श से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला संस्थान का एक प्रोफेसर;

(छ) संस्थान का मुख्य अनुरक्षण इंजीनियर;

(ज) रजिस्ट्रार, जो सदस्य सचिव होगा।

3.5.2 **कृत्य**

(क) बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् सभी प्रमुख बड़े संकर्मों को अनुमोदित करना;

(ख) लघु कार्यों तथा अनुरक्षण और मरम्मत से संबद्ध कार्यों के लिए दो लाख रुपए के मूल्य से अधिक के कार्यों के प्रयोजन के लिए संस्थान के पास रखे अनुदान के भीतर रहते हुए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी देना;

(ग) भवनों और अन्य पूंजी कार्यों, लघु कार्यों, मरम्मतों, अनुरक्षण तथा समान कार्यों के खर्च के परिकलनों को अभिलिखित करना;

(घ) अनिवार्य होने पर ऐसी तकनीकी जांच-पड़ताल करना जो उसके द्वारा आवश्यक समझी जाए;

(ङ) विभागीय कार्यों के लिए उपयुक्त ठेकेदारों की सूची तैयार करना तथा जहां आवश्यक हो, निविदाएं स्वीकार करना और निदेश देना;

(च) निविदा के अन्तर्गत न आने वाली दरें निर्धारित करना तथा ठेकेदारों के दावों और विवादों का निपटारा करना;

(छ) संस्थान के भवनों के निर्माण तथा भूमि विकास के विषय में ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करना, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं;

(ज) संस्थान की प्रयोगशाला सेवाओं को बनाए रखने के लिए प्रणाली का विकास करना।

3.5.3 **अधिवेशन**

(क) समिति के अधिवेशन उतनी बार, जितने आवश्यक हों, किन्तु वर्ष में कम से कम दो बार होंगे। अधिवेशन की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य उपस्थित होने चाहिएं।

(ख) आपात मामलों में समिति का अध्यक्ष समिति की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। ऐसे मामले उसके द्वारा समिति तथा बोर्ड को, समिति और बोर्ड के अगले अधिवेशन में रिपोर्ट किए जाएंगे।

3.6 **चयन समितियां**

गणपूर्ति : अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल सदस्य संख्या का 50%।

प्रोफेसरों, सह-प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, रजिस्ट्रार प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, प्रधान विज्ञानी अधिकारी के पदों तथा अन्य पदों पर नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें करने के लिए चयन समितियां होंगी। नीचे सारणी-1 के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे।

सारणी 1

(1)	(2)
प्रोफेसर/सह-प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर	—अध्यक्ष : बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विख्यात वैज्ञानिक/शिक्षा विद्/वृत्तिक/ प्रौद्योगिकी विद्। —बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट ख्यातिप्राप्त एक शिक्षा विद्/वैज्ञानिक। निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले संबद्ध विशेषज्ञता रखने वाले कम से कम दो बाह्य विशेषज्ञ। —निदेशक, पदेन।
प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी/ प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी/अन्य तकनीकी कर्मचारिवृंद	(क) संस्थान का निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा । (ख) संकायाध्यक्ष । (ग) निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ ।
रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार/अन्य प्रशासनिक कर्मचारीवृंद	(क) संस्थान का निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा । (ख) संकायाध्यक्ष । (ग) निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विशेषज्ञ । (घ) रजिस्ट्रार जो, रजिस्ट्रार के पद के अलावा, समिति का सचिव भी होगा।
ऊपर दर्शाए गए वर्गों के अंतर्गत न आने वाले सभी अन्य पद, जिनका वेतनमान ऐसा है, जिसमें अधिकतम वेतन 3050/- रुपए प्रतिमास से अधिक है।	(क) निदेशक या उसका नामनिर्देशिती, जो समिति का अध्यक्ष होगा। (ख) यथास्थिति, संबद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष या रजिस्ट्रार। (ग) निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट संस्थान के कर्मचारिवृंद में से दो सदस्य।

टिप्पण 1 : नियम द्वारा प्रदान की गई संपूर्ण व्यवस्था के भीतर रहते हुए चयन समिति को किसी पदधारी के आरंभिक वेतन को, उस पद की बाबत, जिसमें अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्ति की जा सकती है, न्यूनतम वेतनमान से अधिक स्तर पर नियत करने की शक्ति होगी।

टिप्पण 2 : चयन समिति पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए संविदा के आधार पर पदों पर नियुक्ति की सिफारिश करेगी तथा संविदा को निदेशक की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा समान निबंधनों पर नवीकृत किया जा सकेगा।

टिप्पण 3 : निदेशक की अनुपस्थिति में संस्थान के कर्मचारिवृंद का कोई सदस्य, जो निदेशक के वर्तमान कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए नियुक्त किया गया है, निदेशक के स्थान पर चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

टिप्पण 4 : संकायाध्यक्ष की अनुपस्थिति में निदेशक उसके स्थान पर चयन समितियों के संबंध में कार्य करने के लिए संस्थान के कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

टिप्पण 5 : जहां कोई पद आमंत्रण द्वारा भरा जाना है, वहां अध्यक्ष अपने विवेकानुसार ऐसी तदर्थ चयन समितियां गठित कर सकेगा जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों।

टिप्पण 6 : इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी निदेशक को "अनुमोदित" परियोजनाओं के अधीन ऐसी रीति में, जिसे वह ठीक समझे, व्यक्तियों की नियुक्ति करने की शक्ति होगी। रजिस्ट्रार ऐसी "अनुमोदित" परियोजनाओं की सूची रखेगा।

टिप्पण 7 : यदि पद विज्ञापन द्वारा भरा जाना है, तो पद के निबंधन और शर्तें रजिस्ट्रार द्वारा विज्ञापित की जाएंगी और विज्ञापन में विनिर्दिष्ट तारीख तक प्राप्त सभी आवेदनों पर चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा :

परंतु चयन समिति पर्याप्त कारणों से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्राप्त किसी आवेदन पर भी विचार कर सकेगी।

टिप्पण 8 : चयन समिति ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिन्होंने आवेदन किया है, विश्वसनीयता की जांच करेगी और चयन समिति के किसी सदस्य द्वारा सुझाए गए या अन्यथा समिति की जानकारी में लाए गए अन्य उपयुक्त नामों पर भी, यदि कोई हों, विचार कर सकेगी। चयन समिति ऐसे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कर सकेगी जिन्हें अध्यक्ष ठीक समझे और चयन किए गए अभ्यर्थियों के नामों को योग्यता के क्रम में व्यवस्थित करके, यथास्थिति, बोर्ड या निदेशक को अपनी सिफारिशें करेगी।

टिप्पण 9 : चयन समिति के किसी कार्य या कार्यवाहियों को मात्र चयन समिति के किसी सदस्य या सदस्यों की अनुपस्थिति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

टिप्पण 10 : रजिस्ट्रार अधिवेशन की सूचना समिति के सदस्यों को अधिवेशन की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पहले देगा।

टिप्पण 11 : जब तक इन परिनियमों के अधीन अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, किसी पद पर नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति उस पद के संबंध में नियुक्ति किए जाने के समय तक अपना कार्य करने के लिए पात्र होगी।

टिप्पण 12 : निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से पैरा 3.6 में वर्णित किसी पद की बाबत पात्रता की शर्तों को शिथिल कर सकेगा।

टिप्पण 13 : (संस्थान में की गई सभी नियुक्तियों की रिपोर्ट बोर्ड को उसके अगले अधिवेशन में दी जाएगी)।

बोर्ड, सीनेट तथा सभी समितियों के कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों से अधिवेशन की गणपूर्ति होगी। परंतु यदि कोई अधिवेशन गणपूर्ति की कमी के कारण स्थगित किया जाता है, तो वह अधिवेशन उसी तारीख को, अधिवेशन कराने के लिए नियत समय से कम से कम आधे घंटे के पश्चात् होगा तथा इस प्रकार उपस्थित सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

अधिवेशनों की सूचनाओं, कार्यसूची में मदों को सम्मिलित करने और बोर्ड के अधिवेशनों को लागू कार्यवृत्त की पुष्टि से संबंधित इन परिनियमों के उपबंधों का, जहां तक संभव हो, समिति के अधिवेशनों के संबंध में पालन किया जाएगा।

4. संकाय की भर्ती

4.1 अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रवर्ग के प्रत्येक पद के सामने उपदर्शित न्यूनतम अर्हता और अनुभव संबंधी अपेक्षा को पूरा करता हो। तथापि, इन परिनियमों में किन्हीं और अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए, अन्यथा उत्कृष्ट योग्यता वाले अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताओं और अनुभव को शिथिल किया जा सकता है।

4.1.1 **सहायक प्रोफेसर :** उपयुक्त शाखा में पी.एच डी. के साथ पूर्ववर्ती डिग्री में प्रथम श्रेणी या समतुल्य ग्रेड, और साथ में आरंभ से ही बहुत अच्छा शैक्षिक रिकार्ड तथा उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशित कार्य के साथ कम से कम 5 वर्ष का अध्यापन/अनुसंधान/औद्योगिक अनुभव।

4.1.2 **सह प्रोफेसर :** उपयुक्त शाखा में पूर्ववर्ती डिग्री में प्रथम श्रेणी या समतुल्य ग्रेड, और पी.एच डी. के साथ में आरंभ से ही बहुत अच्छा शैक्षिक रिकार्ड तथा उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशित कार्य के साथ कम से कम 8 वर्ष का अध्यापन/अनुसंधान/औद्योगिक अनुभव तथा औषध तथा संबद्ध क्षेत्रों में ज्ञान में किए गए आरंभिक योगदान के लिए स्थापित प्रतिष्ठा।

4.1.3 **प्रोफेसर** : उपयुक्त शाखा में पी.एच डी. के साथ पूर्ववर्ती डिग्री में प्रथम श्रेणी या समतुल्य ग्रेड, और आरंभ से ही बहुत अच्छा शैक्षिक रिकार्ड तथा उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशित कार्य के साथ कम से कम 10 वर्ष का अध्यापन/अनुसंधान/औद्योगिक अनुभव तथा औषध तथा संबद्ध क्षेत्रों में ज्ञान में विशिष्ट आरंभिक योगदान देने में सुप्रसिद्ध और स्थापित प्रतिष्ठा।

4.2 भर्ती राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के परिनियमों के पैरा 3.6 के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

4.3 चयन समिति की सिफारिशों को बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

4.4 अपवादिक रूप से सुयोग्य किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति निदेशक, संकायाध्यक्ष तथा संबध विभाग के विभागाध्यक्ष से मिलकर बनी विशेष समिति द्वारा साक्षात्कार के पश्चात् निदेशक द्वारा तदर्थ/अतिरिक्त आधार पर की जा सकेगी।

4.5 निदेशक ऐसी तदर्थ नियुक्तियों को अगले अधिवेशन में बोर्ड की जानकारी में लाएगा।

4.6 तदर्थ नियुक्तियां संकाय के कुल कर्मचारिवृंद के 5-10% से अधिक नहीं होगी।

4.7 किसी तदर्थ नियुक्ति को राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के परिनियमों के पैरा 4.2 और 4.3 के अनुसार एक वर्ष के भीतर सामान्य रिक्ति के संबंध में नियमित चयन की प्रक्रिया द्वारा भरा जाना होगा।

5. **कैरियर तरक्की स्कीम**

पांच वर्ष की समाधानप्रद सेवा के पश्चात् सहायक प्रोफेसर से सह-प्रोफेसर तथा सह-प्रोफेसर से प्रोफेसर के अगले उच्चतर ग्रेड में रखे जाने के लिए उपबंध किया जाना चाहिए। यह बहुत कठोर चयन प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। इस प्रणाली की विश्वसनीयता, कार्यकरण मूल्यांकन की दक्ष और सुकार्य प्रणाली को रखने पर निर्भर करेगा। इसमें निम्नलिखित को आवश्यक रूप से विचार में रखा जाएगा :—

(क) संकाय की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टें।

(ख) छात्रों द्वारा प्रत्येक वर्ष का मूल्यांकन अभिलेख।

(ग) प्रकाशनों, रिपोर्टों, पेटेंटों आदि का अभिलेख।

(घ) संस्थान के विकास के लिए संकाय द्वारा किया गया योगदान।

(ड.) परियोजनाओं, पुरस्कारों आदि के रूप में बाहरी अभिकरणों से प्राप्त मान्यता।

इन उपलब्धियों की रिपोर्टों तथा अभिलेखों की दो बाह्य विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाएगी, जिनकी सिफारिशें संस्थान के परिनियमों के पैरा 3.6 के अनुसार गठित चयन समिति के समक्ष रखी जाएंगी। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाएगा। समिति की सिफारिशों पर अगले उच्चतर ग्रेड में रखे जाने या अन्यथा के लिए आगे कार्यवाही की जाएगी।

5.2 चयन समिति की सिफारिशों को बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

5.3 किसी विभाग में संकाय पदों की कुल संख्या नियत रहेगी। किंतु पदधारी के संबध में संबंधित पदों के उन्नयन में नमनीयता अनुज्ञात की जाएगी। इस प्रकार संकाय सदस्य की योग्यता को उच्चतर काडर में पद की उपलब्धता पर ध्यान दिए बिना मान्यता दी जाएगी। इस उपबंध का संस्थान के बृहत हित में बहुत ही विवेकपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए।

5.4 उपरोक्त पैरा 5.1 के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में रखे जाने से सीधी भर्ती द्वारा होने वाले पश्चात्वर्ती प्रवेश के उपबंध पर कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तथापि, इस स्कीम के अधीन अगले उच्चतर ग्रेड में रखे गए संकाय के सदस्य, उच्चतर पद के सभी विशेषाधिकार और लाभ प्राप्त करेंगे।

6. **संकाय की संविदाओं का पुनर्विलोकन**

6.1 राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में संविदा के आधार पर नियुक्तियां करने की नीति अपनाई जाती है। संविदा की अवधि पांच वर्ष रखी गई है।

6.2 संविदा पुनर्विलोकन समिति निम्नलिखित से मिलकर गठित की जा सकेगी :—

— निदेशक, अध्यक्ष

— संकायाध्यक्ष

— संबद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष

— राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के बाहर से दो विशेषज्ञ।

6.3 अन्य प्रक्रियाएं परिनियमों के पैरा 5.1 से 5.2 के अधीन विहित किए गए अनुसार होंगी।

7. **नये संकाय सदस्यों की खोज**

7.1 प्रतिभा की खोज व्यक्तिगत संपर्कों के द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। यदि पर्याप्त संख्या में भावी अभ्यर्थियों की विदेश में पहचान हो सकती है, तो निदेशक द्वारा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए तथा उनकी उपयुक्तता का अवधारण करने के लिए एक दौरे का आयोजन किया जा सकता है।

7.2 निदेशक की सिफारिशों, संबद्ध अभ्यर्थियों की विश्वसनीयता के बारे में परिनियमों के पैरा 3.6 के अधीन अधिकथित किए गए सम्यक् रूप से नियुक्त की गई चयन समितियों द्वारा विचार किया जा सकता है।

7.3 राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में विज्ञापन की सामान्य प्रक्रिया का आवश्यक अनुवर्तन हेतु अनुपालन किया जाता रहना चाहिए।

8. **श्रेष्ठता बतौर प्रमाणक**

8.1 राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में श्रेष्ठता को विशिष्टता का प्रतीक बनाए रखा जाना है। यदि संस्थान को अपने सृजन और राष्ट्र के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति के लिए बनाए रखने को न्यायोचित सिद्ध करना है तो सभी स्तरों पर गुणवत्ता को बनाए रखना होगा।

8.2 संविदाओं का पुनर्विलोकन करते समय पहले से ही आसीन संकाय की प्रोन्नति, नए संकाय की भर्ती तथा तदर्थ नियुक्तियां करते समय भी गुणवत्ता ही मुख्य मापदंड होनी चाहिए। श्रेष्ठता की भावना से कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

9. **निदेशक की नियुक्ति**

नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए नवीकरण किए जाने योग्य होगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पत्र सं. 52(8)/98, पी. आई. IV तारीख 16 अक्तूबर 2001 द्वारा संशोधित।

संबोधन : नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी, जो पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए नवीकरणीय होगी।

10. प्रतिभाशाली और असाधारण योग्यता वाले वैज्ञानिकों में से प्रतिष्ठित प्रोफेसर की नियुक्ति, चाहे भीतर से हो या बाहर से, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई. टी.) में ऐसे प्रतिष्ठित प्रोफेसर को लागू निर्धारित वेतन पर की जा सकेगी।

11. **प्रतिभापीठों की स्थापना**

इन पीठों की लिए चयन सामान्य से कहीं अधिक कठोर होना चाहिए। इन पीठों के लिए वेतन का निर्धारण इस संबंध में दानकर्ताओं द्वारा निर्धारित तथा संस्थान द्वारा स्वीकृत शर्तों के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयन समिति इस चयन के लिए आधार को अभिलिखित करेगी।

12. **वेतन ढांचा तथा संबंधित मुद्दे**

12.1 वेतन ढांचा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई. टी.) के संकाय को लागू वेतन से तुलनीय होगा।

12.2 संकाय के वेतनमान वहीं रखे जाएंगे, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई. टी.) के संकाय को लागू हैं।

इसका अर्थ है कि वर्तमान वेतनमान निम्नानुसार होंगे:

वर्ग	वेतनमान
प्राध्यापक (लेक्चरर)	8000-275-13,500
प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतमान)	10,000-325-15,200
सहायक प्रोफेसर	12,000-420-18,300
सह प्रोफेसर	16,400-450-20,000
प्रोफेसर	18,400-500-22,400
निदेशक	25,000 (नियत)
प्रतिष्ठित प्रोफेसर	25,000(नियत)
प्रतिभापीठ	बातचीत द्वारा तय किया जाएगा

12.3 भविष्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) के वेतनमानों के पुनरीक्षण से संबंधित कोई भी निर्णय राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के संकाय पर लागू होगा।

13. **अन्य सुख-सुविधाएं/भत्ते**

13.1 संस्थान का संकाय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई. आई. टी.) को लागू किए गए अनुसार मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत (एल. टी. सी.) तथा अन्य भत्तों एवं ऋणों के लिए हकदार होगा।

13.2 इसके अतिरिक्त, संस्थान के संकाय को उनके व्यवसायिक विकास में उनकी सहायता के लिए निम्नलिखित विशेष भत्ते दिए जाएंगे।

13.2.1 **व्यवसायिक समितियों की सदस्यता/पत्रिकाएं प्राप्त करना**

प्रत्येक संकाय सदस्य, सदस्यता की लागत पर या पत्रिकाओं के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 5,000 रुपए तक की 50% सब्सिडी प्राप्त करेगा, जिसका भुगतान वाउचर पेश करने पर किया जाएगा।

13.2.2 **पुस्तक भत्ता**

प्रत्येक संकाय सदस्य को अधिकतम 5,000/-रु. वार्षिक तक पुस्तक भत्ता दिया जाएगा, जिसका भुगतान वाउचर पेश करने पर किया जाएगा। पुस्तकें अंत में संस्थान के पुस्तकालय का भाग होंगी।

13.2.3 **सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्ति**

संकाय सदस्यों को अपना कार्य प्रस्तुत करने के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी सम्मेलनों में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह की प्रतिनियुक्ति वर्ष में एक राष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रत्येक 3 वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से अधिक के लिए नहीं होगी, बशर्ते कि प्रस्तुत करने वाले दस्तावेज सम्मेलन के आयोजकों द्वारा स्वीकार किए गए हों या संबद्ध संकाय सदस्य को सम्मेलन में लैक्चर देने या सम्मेलन/अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया हो या वह सम्मेलन में पदाधिकारी हो।

14. **संस्थान के निदेशक, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और रजिस्ट्रार की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य**

नीचे सारणी-2 के स्तंभ-1 में विनिर्दिष्ट, निदेशक, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और रजिस्ट्रार की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य वे होंगे, जो स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

सारणी 2

(1)	(2)
निदेशक	(क) समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार व्यय उपगत करना। (ख) चयन समिति की सिफारिशों पर किसी अभ्यर्थी का प्रारंभिक वेतन न्यूनतम वेतनमान से उच्च स्तर पर निर्धारित करना किंतु अधिनियम के उपबंधों द्वारा उसे विहित शक्तियों के अधीन उसके द्वारा की जा सकने वाली नियुक्तियों से संबंधित पदों की बाबत पांच वेतन वृद्धियों से अधिक नहीं होगा। (ग) आपवादिक मामलों में और निधि की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, निदेशक द्वारा बोर्ड को रिपोर्ट करने के अधीन रहते हुए, अनुमोदित वेतनमान पर दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए अध्यक्ष के अनुमोदन से अस्थायी पद सृजित करने की शक्ति होगी। परंतु ऐसा कोई पद, जिसके लिए निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है, इस प्रकार सृजित नहीं किया जाएगा। (घ) संस्थान के प्रोफेसरों में से संकायाध्यक्ष की नियुक्ति करना। (ङ) विभाग के प्रोफेसरों में से विभागाध्यक्ष को पदाभिहित करना। यदि किसी विभाग में कोई प्रोफेसर नहीं है, तो निदेशक स्वविवेकानुसार उस विभाग के किसी सह/सहायक प्रोफेसर को अंतरिम अवधि के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा। (च) संस्थान के प्रोफेसरों/सह-प्रोफेसरों/सहायक प्रोफेसरों में से वार्डन (वार्डनों) की नियुक्ति करना। (छ) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त हो या बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से रजिस्ट्रार अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब रजिस्ट्रार के कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करना, जिन्हें रजिस्ट्रार योग्य समझे। (ज) लेखा संहिता नियमों, मूल और अनुपूरक नियमों और सरकार के अन्य नियमों के प्रयोजनों के लिए, जहां तक वे संस्थान के कारबार के संचालन को लागू होते हैं या लागू किए जाएं, किसी विभागाध्यक्ष की शक्ति। (झ) संस्थान और निदेशक के बीच किसी संविदा करार के सिवाए, संस्थान के लिए और उसकी ओर से सभी संविदाएं, जब बोर्ड द्वारा इस निमित्त धारित संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया जाए, लिखित में होंगी और संस्थान के नाम में की गई अभिव्यक्त की जाएंगी और ऐसी प्रत्येक संविदा संस्थान की ओर से निदेशक या रजिस्ट्रार द्वारा निष्पादित की जाएगी किंतु निदेशक/रजिस्ट्रार ऐसी संविदा के अधीन किसी भी बात के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। (ञ) बोर्ड, सीनेट विद्या संबंधी योजना और विकास समिति, वित्त समिति और प्रयोगशाला सेवा, भवन और निर्माण समिति के अधिवेशन बुलाना या बुलवाना। (ट) उन क्षेत्रों में, जहां संस्थान में पर्याप्त विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है, विद्या संबंधी योजना और विकास समिति की सिफारिश पर संस्थान के बाहर से अतिथि संकाय या परामर्शियों के रूप में व्यक्तियों को ऐसे निबंधनों पर जो उसके द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे, आमंत्रित करना।

(ठ) समय-समय पर बोर्ड द्वारा बनाए गए ऐसे अनुबंधों के अधीन रहते हुए, किसी पृथक मामले में बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि की सीमा तक उचित टूट-फूट के कारण अप्रयोज्य बने या गुमशुदा भंडारों के अधिक संदाय, अवलिखित अवसूलनीय हानियों और अवसूलनीय लागत की वसूली को छोड़ना।

(ड) जब निदेशक का पद रिक्त हो या निदेशक बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब उसके पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना जिसे वह योग्य समझे। किंतु फिर भी ऐसी व्यवस्था 30 दिन से अधिक के लिए नहीं होगी। 30 दिन से अधिक के लिए निदेशक के पद के लिए वर्तमान पदभार व्यवस्था के लिए व्यवस्थापक बोर्ड का अनुमोदन होना चाहिए।

(ढ) बोर्ड के अनुमोदन से, अधिनियम और परिनियमों द्वारा उसमें निहित किन्हीं शक्तियों, उत्तरदायित्वों और प्राधिकारों को संस्थान के शैक्षणिक या प्रशासनिक कर्मचारियों के किसी एक या अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(ण) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में डिग्रियां प्रदान करने के लिए संस्थान के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और संस्थान के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा सम्बोधन करने के लिए हकदार होगा, किंतु वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न होने पर उसमें मत देने का हकदार नहीं होगा।

(त) यह देखना कि, अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है और ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए उसको आवश्यक सभी शक्तियां होंगी।

(थ) नियमों के अनुसार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना और उन्हें निलंबित करना तथा जांच लंबित रहने के दौरान उन्हें चेतावनी देना और कोई भी शास्ति अधिरोपित करना :

परंतु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को सुनवाई और उसके संबंध में किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले निदेशक के किसी आदेश के विरूद्ध अपील अध्यक्ष को होगी।

(द) अपना पदभार संभालने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा और पुन:नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु कुलाध्यक्ष (विजिटर) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा निदेशक, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, ऐसी अवधि के लिए पद पर बना रहेगा, जो एक वर्ष की कुल अवधि से अधिक नहीं होगी, जैसा निदेश से विनिर्दिष्ट की जाए।

(ध) ऊपर खंड (द) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने पद की अवधि या उसके किसी विस्तारण के दौरान पैंसठ वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

पत्र सं. 52/8/98-पी.आई.-III /एन. आई. पी. ई. आर., तारीख 28 फरवरी, 2002 द्वारा संशोधित।

संशोधन : व्यवस्थापक बोर्ड ने राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के खंड 9 के संशोधन के अनुमोदन की तारीख से खंड 14 (ध) को हटाने का संकल्प किया।

संकायाध्यक्ष (क) शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य में तथा अन्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के साथ तथा औद्योगिक उपक्रमों और अन्य कर्मचारियों के साथ संपर्क कायम करने में निदेशक को सहयोग देना।

(ख) तीन वर्ष के लिए पदधारण करेगा और एक और अवधि के लिए पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि उपरी आयु सीमा 62 वर्ष से अधिक न हो जाए।

विभागाध्यक्ष ऐसे कार्य करना, जो निदेशक द्वारा अवधारित किए जाएं।

रजिस्ट्रार (क) बोर्ड के प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करने की हकदार निकायों को उस तारीख से, जिसको ऐसे निमंत्रण उसके द्वारा जारी किए जाते हैं, साधारणतया चार सप्ताह से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसा करने के लिए निमंत्रण देना। बोर्ड की आकस्मिक रिक्तियों को भरने हेतु भी ऐसी ही प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

(ख) बोर्ड, सीनेट, वित्त समिति, प्रयोगशाला सेवाएं, भवन और निर्माण समिति का पदेन सचिव होना, किंतु तब तक इन प्राधिकरणों का सदस्य नहीं माना जाएगा जब तक बोर्ड द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

(ग) संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होना, क्योंकि बोर्ड उसके पदभार के लिए वचनबद्ध रहेगा।

(घ) बोर्ड, सीनेट, अध्ययन बोर्ड तथा संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति के अधिवेशन बुलाने संबंधी सभी सूचनाएं जारी करना।

(ङ) बोर्ड, सीनेट तथा संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य समितियों की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखना।

(च) बोर्ड, सीनेट तथा विभिन्न समितियों के कार्यालय संबंधी पत्राचार का संचालन करना।

(छ) अध्यादेशों द्वारा विहित रीति के अनुसार संस्थान की परीक्षाओं का प्रबंध तथा अधीक्षण करना।

(ज) बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रार निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(1) संस्थान की निधियों पर सामान्य अधीक्षण रखना तथा संस्थान के वित्तीय मामलों के संबंध में उसे सलाह देना।

(2) ऐसे अन्य वित्तीय कार्य करना, जो निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाएं या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं :

परंतु रजिस्ट्रार निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई व्यय उपगत नहीं करेगा या कोई विनिधान नहीं करेगा।

(3) न्यास तथा धर्मस्व संपत्ति सहित संस्थान की संपत्ति और विनिधानों को धारण करना तथा उनका प्रबंध करना।

(4) यह सुनिश्चित करना कि एक वर्ष की आवर्ती और गैर-आवर्ती खर्चे के लिए बोर्ड द्वारा नियत सीमाएं अधिक न हों और सभी धन का प्रयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जिनके लिए वे मंजूर या आबंटित किए गए हैं।

(5) संस्थान के वार्षिक लेखाओं और बजट तैयार करने के लिए और उन्हें बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(6) नकद, बैंक अतिशेषों और निवेशों की स्थिति पर लगातार नज़र रखना।

(7) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखना और नियोजित संग्रहण की पद्धतियों के संबंध में सलाह देना।

(8) यह सुनिश्चित करना कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपकरणों के रजिस्टरों को अद्यतन रखा जाता है तथा संस्थान के सभी कार्यालयों, विभागों, केंद्रों तथा प्रयोगशालाओं में उपकरणों तथा अन्य उपभोज्य सामग्रियों के स्टाक का निरीक्षण किया जाता है।

(9) अनधिकृत खर्चे तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण मांगना तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सुझाव देना।

(10) संस्थान द्वारा अनुरक्षित किसी कार्यालय, विभाग, केंद्र तथा प्रयोगशाला से किसी ऐसी जानकारी या विवरणी की मांग करना, जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(11) संस्थान को देय किसी धनराशि के लिए रजिस्ट्रार या निदेशक द्वारा इस निमित्त सम्यक्तः प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की रसीद ऐसे धन के भुगतान के लिए पर्याप्त होगी।

(झ) संस्थान द्वारा या उसके विरूद्ध किसी वाद या कार्यवाहियों में संस्थान का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामें पर हस्ताक्षर करना तथा अभिवाक सत्यापित करना या उस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना।

(ञ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं या जो, समय-समय पर, बोर्ड या निदेशक द्वारा अपेक्षित किए जाएं।

15. **भविष्य निधि, पेंशन तथा उपदान स्कीम**

राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के सभी कर्मचारी, समय-समय पर संशोधित, साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960-सह-पेंशन-सह-उपदान स्कीम तथा अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962-सह-उपदान स्कीम में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

16. **छुट्टियां तथा अवकाश**

संस्थान के कर्मचारिवृंद, इसमें इसके पश्चात् उपदर्शित भिन्नता/परिवर्धनों के अधीन रहते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 द्वारा शासित होंगे—

(क) सामान्य क्रम में अधिकतम दो बार अर्जित अवकाश तथा आपात के मामले में तीसरी बार।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) के अनुसार धार्मिक अवकाश की व्यवस्था।

(ग) अवकाश विभाग की तरह अर्जित अवकाश की व्यवस्था।

17. **कर्मचारिवृंद के लिए निवास-स्थान**

(1) संस्थान, व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले "निवास आबंटन (राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान) नियमों" के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कैम्पस के भीतर असज्जित मकान आबंटित कर सकेगा।

(ii) व्यवस्थापक बोर्ड, संस्थान के हित में अनिवार्य समझे जाने पर, किसी भी कर्मचारी वर्ग के लिए लाईसेंस फीस उद्गृहीत किए बिना या रियायती दरों पर ऐसी फीस उद्गृहीत करके सुसज्जित या असज्जित आवास आबंटित कर सकेगा।

18. **यात्रा भत्ते**

संस्थान के सभी कर्मचारी, समय-समय पर यथासंशोधित, भारत सरकार के अनुपूरक नियम (यात्रा भत्ता) के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्तों के लिए, निम्नलिखित भिन्नता/वृद्धि के अधीन रहते हुए, हकदार होंगे।

(i) स्थानीय वाहन प्रभार की वापिसी केवल आवश्यकता के आधार पर तथा विनिर्दिष्ट मामलों में ही की जाएगी, जिसका विनिश्चय संस्थान के निदेशक द्वारा किया जाएगा।

(ii) समूह 'क' अधिकारियों के लिए दौरे पर मंहगाई भत्ते का भुगतान (होटल प्रभारों सहित) सी एस आई आर पेटर्न के अनुसार ही होगा।

19. **चिकित्सीय परिचर्या**

संस्थान के कर्मचारी, निम्नलिखित भिन्नता/वृद्धि के अधीन रहते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित, केंद्रीय सेवा (चिकित्सा सुविधा) नियम, 1944 द्वारा शासित होंगे :—

(i) ए एम ए की सलाह पर निजी प्रयोगशालाओं से पैथालोजिकल परीक्षणों की लागत पीजीआई, चंडीगढ़/ए आई आई एम एस, नई दिल्ली की दरों तक सीमित हो सकेगी।

(ii) निजी ए एम ए द्वारा डेंटल सर्जन से दांतों के इलाज की लागत को भी पी जी आई, चंडीगढ़/ए आई आई एम एस, नई दिल्ली की दरों तक सीमित किया जाएगा।

20. **आचार नियम**

संस्थान के कर्मचारी, समय-समय पर यथासंशोधित, केंद्रीय सिविल सेवा (आचार) नियम, 1964 द्वारा शासित होंगे।

21. **अनुशासन और अपीलें**

संस्थान के कर्मचारी समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 द्वारा शासित होंगे।

22. **परामर्श**

संस्थान के कर्मचारी संविदा अनुसंधान कर सकते हैं तथा अनुसूची 'ए' में अधिकथित परामर्शी तथा तकनीकी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

23. **प्रकीर्ण**

संपूर्ण परिनियम या उसके भाग में कोई उपांतरण, परिवर्तन और संशोधन या निरसन अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के अधीन रहते हुए होगा।

[सं. एफ. 52(7)/2001-पी.सी.-I(एन आई पी ई आर)]

शरद गुप्ता, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट "क"

(परिनियम 22 देखें)

राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संकाय संविदा अनुसंधान कर सकती है तथा परामर्शी और तकनीकी सेवाएं भी प्रदान कर सकती है।

1. **संविदा अनुसंधान :**

संविदा अनुसंधान में इस प्रयोजन के लिए किए गए विनिर्दिष्ट संविदागत व्यवस्था के माध्यम से किए गए सभी अनुसंधान और विकास शामिल होंगे तथा उसके अंतर्गत निम्नलिखित आएंगे :—

1.1क. **प्रायोजित परियोजनाएं :** परियोजनाओं का पूर्ण वित्त प्रबंध ऐसे ग्राहक द्वारा किया जाएगा, जिसकी विनिर्दिष्ट अनुसंधान और विकास में विशेषज्ञता है और सुपरिभाषित आशयित परियोजना परिणाम, सामान्यता बौद्धिक संपदा के उत्जनन में शिखर पर हैं। प्रायोजित परियोजनाएं बहु-ग्राहकों के लिए भी हो सकेंगे, जिनके लिए प्रयोजकों को परियोजना वित्त प्रबंध और अनुसंधान परिणामों में भागीदारी करनी होगी।

1.1ख. **सहयोगी परियोजनाएं :** इसका अंशत: वित्त प्रबंध ग्राहक द्वारा तथा पूरक प्रबंध संस्थान द्वारा कुशल मानव शक्ति, अवसंरचनात्मक सुविधाओं आदि के निरीक्षण के लिए भारी मात्रा में उत्पाद के उत्पादन/फैब्रिकेशन, जैसे अंत: निदेशों के उपबंध द्वारा किया जाता है। सहयोगी परियोजनाएं प्रयोगशाला स्तर की जानकारी, प्रौद्योगिकी विकास या बौद्धिक संपदा के उत्जनन, आदि को बढ़ाने/सिद्ध करने के लिए हो सकेंगी। आशयित परियोजना के बाह्य/अंत: निवेश परिणाम सुपरिभाषित हैं।

1.1ग. **सहायता अनुदान परियोजनाएं :** सहायता अनुदान परियोजनाएं, सामान्यत: आधारभूत या अन्वेषणात्मक अनुसंधान या अवसंरचनात्मक सुविधाओं के रख-रखाव या सृजन परीक्षण में सहयोग करने के लिए होती हैं। इन परियोजनाओं में वित्तीय निवेश अंशत: या पूर्णत: अन्य रूप में सहयोग जैसे उपकरण, पूरक हेतु प्रशिक्षण, चल रही या नई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के प्रयत्नों का नई क्षमताओं/सुविधाओं की संरचना के रूप में अनुदान शामिल होगा।

1.2. **संविदा अनुसंधान परियोजना की लागत :**

1.2.1 संविदा अनुसंधान के लिए प्रभारों में निम्नलिखित के संबंध में व्यय शामिल होंगे :

(क) लगाए गए कर्मचारियों के कामकाज के दिवसों की लागत।

(ख) 25% अतिरिक्त खर्चे सहित उपभोज्य/कच्चे माल/कलपुर्जों की लागत।

(ग) 25% अतिरिक्त खर्चों सहित भौतिक निवेशों/सेवाओं/उपयोगिताओं की लागत।

(घ) प्रयुक्त उपकरणों की लागत/परियोजना के लिए विनिर्दिष्ट रूप से खरीदे गए उपकरण की लागत।

(ङ) किया गया कोई भी बाहरी भुगतान।

(च) यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता।

(छ) आकस्मिकताएं।

कुल व्यय = क से छ तक का योग।

1.2.2. **बौद्धिक फीस :** 1.2.1 में के अनुसार कुल व्यय का न्यूनतम 33.3%।

1.2.3. किसी भी प्रायोजित अनुसंधान के लिए बौद्धिक संपदा के लाईसेंस देने का अधिकार राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के पास होगा। सहयोगी अनुसंधान की दशा में, ऐसे अधिकार राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तथा सहयोगी संस्थान के पास होंगे, संविदा अनुसंधान से उत्पन्न बौद्धिक संपदा व्यापारिक उपयोग हेतु लाईसेंसिंग द्वारा संयुक्त रूप में धारित की जाएगी।

राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान फीस के रूप में पर्याप्त राशि प्रभारित करेगा। यह एकमुश्त तथा/या आवर्ती रायल्टी हो सकती है।

टिप्पण : जहां कहीं साध्य हो, प्रयोजक को गैर-अनन्य लाईसेंस फीस दी जाएगी, जो कि बौद्धिक संपदा के व्यापारिक उपयोग के लिए 5 वर्ष से अनधिक की सीमित अवधि हेतु अनन्य लाईसेंस है।

1.2.4. **परियोजना लागत :** कुल व्यय + बौद्धिक फीस + लाईसेंस फीस।

1.3. **कर्मचारियों द्वारा धन का अंशभाजन :**

बौद्धिक फीस या शुद्ध बकाया (सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परियोजना व्यय का हिसाब लगाने के पश्चात् शेष) का चालीस प्रतिशत, जो संविदागत अनुसंधान और विकास से प्राप्ति से निम्नतर हो, कर्मचारियों के साथ अंशभाजित किया जाएगा।

कर्मचारियों के लिए अंशभाजित का पैटर्न निम्नानुसार है :

	कर्मचारिवृंद	अंश
(i)	अन्वेषक तथा प्रमुख अभिदायकर्ता	40%
(ii)	एस एंड टी (सहयोगी कर्मचारिवृंद)	35%
(iii)	राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के शेष सहयोगी कर्मचारिवृंद	20%
(iv)	कल्याण निधि	5%

2. **परामर्श**

राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में सभी परामर्शी सेवाएं संस्थागत होंगी। परामर्श के दो वर्ग होंगे, अर्थात् —

2.1.1 **सलाहकार परामर्श**

जहां कहीं सेवाओं में वैज्ञानिक, तकनीकी, इंजीनियरी या अन्य व्यावसायिक सलाह शामिल होगी, जो कि किसी ग्राहक को राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान से बाहर दिए गए व्यक्ति (व्यक्तियों) के उपलब्ध विशेषज्ञ ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर प्रदान की जाएगी वहां इसमें न तो राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की कोई भी सुविधाओं के प्रयोग शामिल होंगे और न ही इसमें किसी भी किस्म का सर्वेक्षण, विस्तृत अध्ययन या रिपोर्ट की तैयार करना/प्रस्तुत करना शामिल होगा।

2.1.2. **सामान्य परामर्श**

जहां कहीं सेवाओं में वैज्ञानिक, तकनीकी, इंजीनियरी या अन्य व्यावसायिक सलाह/सहयोग शामिल होगा, जो कि राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के उपलब्ध ज्ञान के आधार/विशेषज्ञता पर आधारित होगा वहां इसमें केवल परामर्श समनुदेशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए

अपेक्षित आवश्यक प्रयोग हेतु प्रयोगशाला सुविधाओं का न्यूनतम प्रयोग ही शामिल होगा। अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य परामर्श के अंतर्गत निम्नलिखित भी आ सकेंगे :—

— साहित्य सर्वेक्षण/साध्यता अध्ययन तैयार करना, कला/परियोजना/प्रौद्योगिकी की भावी दशा की रिपोर्टों को तैयार करना।

— परीक्षण परिणामों और आंकड़ों का निर्वचन तथा विधिमान्यकरण, जोखिम और खतरा/पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण आदि।

— डिजाइन इंजीनियरी।

— उपकरणों का संन्निमार्ण, चालू करना, संचालन, संरचना/प्रदान करने और क्रय करने, संकट-निवारण, उत्पादकता सुधार, प्रदूषण घटाव/नियंत्रण उपाय ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट के उपयोग, प्रौद्योगिकी निर्धारण मूल्यांकन में सहायता देना।

2.1.3. सलाहकार परामर्शी वर्ग के अधीन दृढ़ता से न आने वाले किसी भी परामर्श कार्य को सामान्य परामर्श के रूप में लिया जाएगा।

2.2 **परामर्श परियोजना की लागत**

2.2.1. परामर्श परियोजना के लिए लागत में निम्नलिखित के मद्दे व्यय शामिल होगा :

(क) लगाए गए कर्मचारियों के कामकाज दिवसों की लागत।

(ख) 25% अतिरिक्त खर्चे सहित भौतिक निवेश/सेवाओं/उपयोगिताओं/उपभोज्य कच्ची सामग्री/कलपूर्जों की लागत।

(ग) प्रयुक्त उपकरणों की लागत।

(घ) परिकल्पित बाहरी भुगतान अर्थात् बाहरी परामर्शदाताओं, आंकड़े प्राप्त करने, अवसंरचनात्मक सुविधाओं को किराए पर लेने के लिए।

(ङ) यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता।

(च) आकस्मिकताएं

टिप्पण : कुल लागत = क से च तक का योग।

2.2.2. **बौद्धिक फीस**

यह उपलब्ध कराए गए निवेश की गुणवत्ता तथा परामर्श के परिणामस्वरूप ग्राहक से प्राप्त होने वाले संभावित लाभों के अनुरूप होनी चाहिए। यद्यपि प्रभारित की जाने वाली बौद्धिक फीस की ऊपरी सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथापि, यह अनुमानित मानव शक्ति प्रभारों से कम नहीं होनी चाहिए।

2.3 **मानदेय का वितरण**

सलाहकार परामर्श के लिए

बौद्धिक फीस की अधिकतम 2/3 तक वितरण योग्य राशि निम्नानुसार है :

परामर्शदाताओं का दल	95%
कल्याण निधि	5%

सामान्य परामर्श के लिए

उद्गृहीत बौद्धिक फीस की अधिकतम 2/3 तक या मानव शक्ति प्रभारों की 300% तक वितरण योग्य राशि, जो भी कम हो, निम्नानुसार होगी :

परामर्शदाताओं का दल	65%
अन्य एस एंड टी कर्मचारिवृंद	15%
शेष सहयोगी कर्मचारिवृंद	15%
कल्याण निधि	5%

3. **बौद्धिक संपदा**

बौद्धिक संपदा में पेटेंट, कापीराईट, रजिस्ट्रीकृत आरेखन, व्यापार-चिह्न, प्रक्रिया/उत्पाद/आरेखन तथा कंप्यूटर साफ्टवेयर के लिए जानकारी शामिल होगी। बौद्धिक संपदा दो प्रकार की होगी।

3.1.1. **विल्लंगमरहित**

(i) यह पूर्णतः घरेलू अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं द्वारा विकसित होती है। ऐसे मामलों में बौद्धिक संपदा का स्वामित्व ही एक मात्र रूप से ऐसा है, जो राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का ही है तथा परिणामस्वरूप लाईसेंस देने के अधिकार भी केवल राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के पास हैं।

(ii) बौद्धिक संपदा का विकास ग्राहक के साथ संविदाजन्य प्रबंध के अनुसार संविदा अनुसंधान तथा बाद में भारमुक्त होने पर होता है। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान द्वारा बौद्धिक संपदा की लाइसेंसिंग ग्राहक के साथ तृतीय पक्षकार लाइसेंसिंग के संबंध में तय किए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार होगी।

3.1.2. **विल्लंगमित**

इसका विकास संविदा अनुसंधान अर्थात् प्रयोगकताओं/ग्राहकों से पूर्णत: या अंशत: वित्तीय सहयोग तथा तकनीकी निवेश सहित/रहित, द्वारा होता है। ऐसे मामलों में, वाणिज्यिक उपयोग हेतु बौद्धिक क्षमता का स्वामित्व तथा लाइसेंस देना राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की इस विषय में ग्राहक के प्रति बाध्यताओं द्वारा शासित होगा।

3.1.3. **बौद्धिक संपदा का लाइसेंस देना**

बौद्धिक संपदा का लाइसेंस देने से, बौद्धिक क्षमता का उपयोग करने तथा परिणामिक उत्पाद (उत्पादों) को वाणिज्यिक/अधिकारिक प्रयोजन के लिए या अन्यथा सहमति से विक्रय का उपयोग करने के अधिकार का लाइसेंस प्रदान करना अभिप्रेत है।

3.3. **बौद्धिक संपदा की कीमत लगाना**

बौद्धिक संपदा का मूल्य निर्धारण करने के लिए कोई कठोर नियम नहीं है और इसलिए, इसका अनुमान मामला-दर-मामला भिन्न रहता है। जानकारी/बौद्धिक संपदा का मूल्य सामान्यत: 5 वर्षों की उत्पादन अवधि के लिए संयंत्र और उपस्कर की लागत या यूनिट के प्रक्षेपित आवर्त के 2% से 10% के बीच होता है।

बौद्धिक संपदा का मूल्य निकालने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा :

(i) विकास की लागत।

(ii) लाईसेंस द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शुद्ध लाभ का अनुमान।

(iii) क्षमता लाइसेंस धारको का आकार और संख्या।

(iv) आयातित बौद्धिक संपदा की तुलनात्मक लागत।

(v) बौद्धिक क्षमता के चुराए जाने की संभावना।

(vi) अवसर मूल्य।

4. **तकनीकी सेवाएं**

तकनीकी सेवाओं से मुवक्किलों/ग्राहकों को संस्थान की उपलब्ध जानकारी, विशेषज्ञता, कुशलता तथा सुविधाओं पर आधारित अल्प प्रकृति की सहायता देना अभिप्रेत है। तकनीकी सेवाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे :

— परीक्षण तथा विश्लेषण (प्रमाणिकता तथा अंशशोधन सहित)

— प्रशिक्षण

— सलाहकार प्रकृति का तकनीकी सहयोग

— विशेष उत्पादों की संरचना/उत्पादन

— मरम्मत और रख-रखाव

— सूचना/डाटा आधारित आंकड़ों की आपूर्ति

4.1. **तकनीकी सेवाओं के लिए प्रभार**

प्रभारों के अंतर्गत निम्नलिखित (क+ख) शामिल होगा (सूचना/आंकड़ों के प्रदाय को छोड़कर)

क. निम्नलिखित पर अनुमानित व्यय :

(i) मानव शक्ति (विहित दरों पर)।

(ii) भौतिक निवेश/सेवाएं/उपयोगिताएं आदि, 25% अतिरिक्त व्यय सहित।

(iii) कच्चा माल/उपभोज्य कलपुर्जे, 25% अतिरिक्त व्यय सहित।

(iv) उपकरणों के प्रयोग से अवमूल्यन/प्रतिस्थापन की लागत।

(v) जेब खर्च में से कोई अन्य खर्च।

ख. बौद्धिक फीस/अवसर लागत। निदेशक अपने विवेक से ग्राहक के स्वभाव तथा उसकी भुगतान करने की क्षमता पर विचार करते हुए मात्रा निर्धारित करेंगे।

4.2 **धन का वितरण**

बौद्धिक फीस या शुद्ध बकाया का 20% (सेवा के लिए सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा करने के पश्चात् शेष राशि), जो भी कम हो, कर्मचारियों द्वारा अंशभाजित किया जाएगा। कर्मचारियों में अंशभाजन की विधि वही होगी, जो 1.3 में दी गई है।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

New Delhi, the 30th October, 2003

G.S.R. 391.—In pursuance of Sub-section (1) of Section36 of the National Institute of Pharmaceutical Education & Research Act, 1998 (13 of 1998), the Central Government hereby publishes the following first Statutes of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research framed under Sub-section (1) of Sections 27 of the said Act by the Board of Governors of the said Institute with the previous approval of the Visitor, namely :—

Statutes of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research

1. Short Title

These Statutes shall be called the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Statutes.

2. Definitions

(a) 'Act means The National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998.

(b) 'Academic Planning and Development Committee' means the Academic Planning and Development Committee of the Institute;

(c) 'Authorities', 'Officers' and 'Professors' respectively mean the authorities, officers and professors of the Institute;

(d) 'Borad' means the Board of Governors of the Institute;

(e) 'Chairman' means the Chairman of the Board;

(f) 'Dean' means the Dean of the Institute;

(g) 'Director ' means the Director of the Institute;

(h) 'Finance Committee' means the Finance Committee of the Institute;

(i) 'Head of the Department' means the Head of the concerned department of the Institute;

(j) 'Institute' means The National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Sahibzada Ajit Singh Nagar incorporated under the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act 1998.

(k) 'Laboratory Services, Building and Works Committee' means the Laboratory Services, Building and Works Committee of the Institute;

(l) 'Ordinances' means the Ordinances of the Institute;

(m) 'Principal Library and Information Officer' means the Principal Library and Information Officer of the Institute;

(n) 'Principal Scientific Officer' means the Principal Scientific Officer of the Institute.

(o) 'Registrar' means the Registrar of the Institute;

(p) 'Senate' means the Senate of the Institute; and

(q) 'Warden' in relation to a Hall of Residence of the Institute means a Warden thereof.

3. THE BOARD, THE SENATE AND THE COMMITTEES

3.1 The Board

3.1.1 Composition

The composition of the Board shall be in accordance with the provisions of Section 4(3) of the Act.

3.1.2 Functions and Powers

In addition to the provisions under Section 8 of the Act, the Board shall have the following powers :

(a) to create posts subject to availability of funds, the determine the number and emoluments of such posts and to define the duties and conditions of service of the employees of the Institute;

(b) to appoint Professor, Associate Professors, Assistant Professor and other staff in equivalent grades, as may be necessary on the recommendation of the selection committees constituted for the purpose;

(c) to regulate and enforce discipline among employees in the accordance with the Statutes, the Ordinances and the Regulations;

(d) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the Institute and for that purpose, to appoint such agents as it may think fit;

315 GI/03—5

(e) to fix the limit of the recurring and the non-recurring expenditure for a year on the recommendations of the Finance Committee;

(f) subject to the provisions of the Act, to invest any money belonging to the Institute including any unapplied income in any manner it thinks fit or in the purchase of immovable property in India;

(g) subject to the provisions of the Act to transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the institute;

(h) to provide buildings, premises, furniture, apparatus and other means needed for carrying on the work of the Institute;

(i) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the Institute;

(j) to entertain, adjudicate upon and if thought fit, to redress any grievances of the employees of the Institute;

(k) to select a common seal for the Institute and provide for the custody and use of such seal;

(l) to delegate any of its powers to the Chairman, the Director, the Dean, the Registrar or such other employee or authority of the Institute or to a committee appointed by it, as it may deem fit;

(m) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by the Act, or the Statutes.

3.1.3 **Meetings**

(a) The Board shall ordinarily meet three times during a calendar year.

(b) The meetings of the Board shall be convened by the Chairman either on his own initiative or at the request of the Director or on a requisition signed by not less than three members of the Board. A requisitioned meeting shall be a special meeting to discuss only those items of agenda for which the requisition is made. The requisitioned meeting shall be convened by the Chairman on a date and time convenient to him within fifteen days of receipt of requisition for such a meeting.

(c) The requisite quorum for a Board meeting shall be 1/3rd of the actual strength of the Board.

(d) The registrar shall invite members of the Board for its meeting by giving not less than three weeks notice from the date of such meeting. The members shall attend the meeting in their official/personal capacities as the case may be. However, period of the notice may be reduced or waived with the prior consent of the Chairman, Director and three other members of the Board.

(e) The agenda shall be circulated by the Registrar to the members of the Board at least a week before the meeting. The Chairman may permit inclusion of any item for which due notice could not be given.

(f) The Board shall decide all issues by a majority of the votes of the members present including the Chairman. If the votes be equally divided, the Chairman shall have a casting vote.

(g) The Chairman, shall preside over meetings of the Board. The Director shall preside over meetings in the absence of the Chairman.

Provided that if the Chairman and the Director are absent and the issue to be considered is urgent and important, the members present shall elect one from amongst themselves to preside over the meeting to consider the particular issue.

(h) The ruling of the Chairman in a meeting in regard to all questions of procedure shall be final.

(i) If a member of the Board fails to attend three consecutive meetings without leave of absence from the Board he shall cease to be a member of the Board.

(j) All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the signature of the Registrar or any other person authorised by the Board in this behalf.

(k) The minutes of the proceedings of a meeting of the Board shall be drawn up by the Registrar and circulated to all members of the Board present. The minutes along with amendments, if any, suggested shall be placed for confirmation at the next meeting of the Board. After the minutes are confirmed and signed by the Chairman of the Board, they shall be recorded in a minute book which shall be kept open for inspection of the members of the Board at all times during office hours.

3.2 The Senate

3.2.1. Composition

In accordance with Section 13 of the Act the following shall be the members of the Senate :

(a) Director, who shall be the Chairman of the Senate;

(b) Dean,

(c) Five Professors of the Institute nominated in terms of Section 13(c) of the Act.

(d) Three persons, nominated in terms of Section 13(d) of the Act.

(e) One Associate Professor of the Institute appointed by rotation;

(f) One Assistant Professor of the Institute by rotation.

(g) Head of the Department of any department unrepresented by the above.

3.2.2 Functions

Subject to the provisions of the Act, the Senate shall :

(a) frame and revise curricula and syllabi for the courses of studies for the various departments;

(b) make arrangements for the conduct of examinations;

(c) declare the results of the examinations or to appoint committees or officers to do so and to make recommendations to the Board regarding conferment of degrees and diplomas;

(d) appoint Advisory Committees or Expert Committees or both for the Departments/Centres of the Institute to make recommendations on academic matters connected with their working; The Head of Departments/ Centres concerned shall act as convenor of such Committee;

(e) apoint Committees from amongst faculty members of the Institute and experts from outside to advise on such specific academic matters as may be referred to any such Committee by the Senate;

(f) consider the recommendations of the Advisory Committees attached to various Departments/Centres and that of expert and other Committees and take such action as required;

(g) periodically review the working of the Departments/Centres and take appropriate action as required;

(h) review periodically the working of the Library and Information Services/Central Instrumentation Centre and any other non-teaching department/centre and take such action as required;

(i) frame such regulations and rules consistent with the Statutes and the Ordinances regarding the functioning of the Institute, admission, discipline, attendance, award of fellowships, scholarships studentships, medals and prizes, fees, residences, concessions, and campus life attendance;

(j) exercise general supervision over the academic policies of the Institute and to give directions regarding method of instruction and co-operative teaching among institutions;

(k) to consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference by Departments/ Centres or the Board and to take appropriate action thereon.

3.2.3 Meetings

(a) The Senate shall meet as often as necessary but not less than once in six months.

(b) The meetings of the Senate shall be convened by the Chairman of the Senate either on his own initiative or on a requisition signed by not less than twenty per cent of the members of the Senate. A requisitioned meeting shall be a special meeting to discuss only those items of agenda for which the requisition is made. The requisitioned meeting shall be convened by the Chairman of the Senate on date and time convenient to him within fifteen days of receipt of requisition for such a meeting. Atleast 1/3rd of total number of members should be present in the meeting to complete quorum.

(c) The Director shall preside over meetings of the Senate. In his absence the Dean shall preside and in the absence of both the Director and the Dean, the senior most Professor present shall preside.

(d) The Director may call an emergency meeting of the Senate at short notice to consider urgent issues.

(e) The ruling of the Chairman of the Senate in regard to all questions of procedure shall be final.

(f) The minutes of the proceedings of a meeting of the Senate shall be drawn up by the Registrar and circulated to all members of the Senate. The minutes along with amendments, if any, suggested shall be placed for confirmation at the next meeting of the Senate. After the minutes are confirmed and signed by the Chairman

of the Senate, they shall be recorded in a minute book which shall be kept open for inspection of the members of the Senate at all times during office hours.

(g) All orders and decisions of the Senate shall be authenticated by the signature of the Registrar or any other person authorised by the Senate in this behalf.

3.3 Academic Planning and Development Committee

It is hereby declare that the Academic Planning and Development Committee shall also be an authority within the meaning of Section 12 of the Act.

3.3.1 Composition

3.3.1.1 The committee shall consist of the following persons :

(a) An eminent academician/scientist/technologist of cognate disciplines, to be nominated by the Board of Governors from outside the Institute to be the Chairman of the said Committee.

(b) the Director of the Institute;

(c) one Professor of the Institute nominated by the Board in consultation with the Director;

(d) six external experts representing different disciplines of pharmaceutical and allied sciences, from academic and research Institutions and from pharmaceutical industries to be nominated by the Board on the recommendation of the Director; and

(e) the Dean, who shall be the member secretary;

The committee shall be reconstituted every three years, one third of the members nominated under clause 3.3.1.1(d) will retire each year and be replaced by fresh nomination. However in the first Committee one third of the members will retire after one year and another one third after two years respectively.

3.3.2 Functions

(a) To aid and advise the Board on academic planning and development and to monitor the academic research and consultancy activities of the Institute.

(b) To recommend to the Board with regard to (i) the creation of posts on the staff and abolition thereof, and (ii) the emoluments and duties attached to such posts.

(c) To suggest ways and means for interdisciplinary coordination in teaching and research.

3.3.3 Meetings

(a) The Academic Planning and Development Committee shall meet as often as necessary but not less than twice in a year.

(b) The meetings of the Academic Planning and Development Committee shall be convened by the Director. The Dean shall preside over the meetings in the absence of the Chairman of the Committee. At least 1/3rd of total number of members should be present in the meeting to complete quorum.

3.4 Finance Committee

It is hereby declared that the Finance Committee shall be an authority within the meaning of Section 12 of the Act.

3.4.1 Composition

3.4.1.1 The Committee shall consist of the following persons :

(a) the Director of the Institute who shall be the Chairman of the Committee;

(b) the Dean, who shall also preside over the meeting in the absence of the Director;

(c) the Director (Finance)/Dy. Financial Advisor of the Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India.

(d) three persons nominated by the Board to represent education, research and industry;

(e) the Registrar who shall be the Member Secretary.

3.4.1.2 The Committee shall be reconstituted every three years.

3.4.2 Functions

(a) to examine the accounts and to scrutinize the proposals for expenditure;

(b) to consider the actual accounts and financial estimates of the institute and submit the same to the Board.

(c) to fix limits of the total recurring expenditure and the total non-recurring expenditure of the year based on the income and resources of the Institute.

3.4.3 Meetings

The Committee shall meet as often as necessary but not less than twice a year. At least 1/3rd of the total number of members should be present in the meeting to complete quorum.

3.5 Laboratory Services, Building and Works Committee

It is hereby declared that the Building and Works Committee shall also be an authority within the meaning of Section 12 of the Act.

3.5.1 Composition

The Committee shall consist of the following members :

(a) The Director, who shall be the Chairman of the Committee;

(b) The Dean, who shall also preside over the meetings in absence of the Director;

(c) one nominee of the Board;

(d) Director (Finance)/Deputy Financial Advisor of the Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India or his nominee;

(e) An officer of CPWD not below the rank of superintending Engineer to be nominated by the Ministry of Urban Development, Government of India, or his nominee not less than an Executive Engineer;

(f) One Professor of the Institute to be nominated by Board inconsultation with Director of the Institute.

(g) Chief Maintenance Engineer of the Institute;

(h) The Registrar, who shall be the member Secretary.

3.5.2 Functions

(a) to approve all major capital works after securing from the Board the necessary administrative approval and expenditure sanction;

(b) to give the necessary administrative approval and expenditure sanction for minor works and works pertaining to maintenance and repairs, within the grant placed at the disposal of the Institute for the purpose beyond the value of Rs. 2.00 lakhs.

(c) to record the estimates of cost of buildings and other capital works, minor works, repairs, maintenance and the like;

(d) to make technical scrutiny as may be considered necessary by it;

(e) to enlist suitable contractors and accept tenders and provide directions for departmental works where necessary;

(f) to fix rates not covered by tender and settle claims and disputes with contractors;

(g) to perform such other functions in the matter of construction of buildings and development of land for the Institute as the Board may entrust to it from time to time;

(h) to develop system for maintenance of the laboratory services of the Institute.

3.5.3 Meetings

(a) The Committee shall meet as often as necessary but not less than twice a year. At least 1/3rd of the total number of members should be present in the meeting to complete quorum.

(b) In emergent cases the Chairman of the Committee may exercise the powers of the Committee. Such cases shall be reported by him to the Committee and the Board at the next meeting of the Committee and of the Board.

3.6 Selection Committee

Quorum : 50% of the total strength of the members in addition to the chairman.

There shall be selection committees for making recommendations for the appointment to the post of the Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Registrar, Principal Library and Information Officer, Principal Scientific Officer and other posts. The Selection Committee for appointment to the posts specified in column 1 of Table 1 below shall consist of the persons specified in the corresponding entry in column 2.

TABLE

(1)	(2)
Professor/Associate Professor/ Professor/Assistant	—Chairman : An eminent Scientist/academician/professional/technologist nominated by the Board. —One academician scientist of repute nominated by the Board. At least two external experts in the respective specialization to be nominated by the Director. —Director, Ex-officio.
Principal Library and Information Officer/Principal Scientific Officer/Other Technical Staff	(a) The Director of the Institute, who shall be the Chairman of the Committee. (b) The Dean. (c) Three experts nominated by the Director.
Registrar/Deputy Registrar/other Administrative staff	(a) The Director of the Institute. Who shall be the Chairman of the Committee. (b) The Dean. (c) Two experts nominated by the Director. (d) Registrar, except for the post of Registrar, who shall also be the Secretary of the committee.
Other posts not covered by the above mentioned categories and carrying a scale of Pay the Maximum of Pay exceeds Rs. 3050.00 per mensem	(a) Director or his nominee who shall be the Chairman of the Committee. (b) Head of the Department concerned or the Registrar, as the case may be. (c) two members from the Staff of the Institute nominated by the Director.

Note 1 — Within the overall provision provided by the rule the Selection Committee shall have the power to fix the initial pay of any incumbent at a stage higher than the minimum of the scale in respect of the post to which appointment can be made by the Board under the provisions of the Act..

Note 2 — The Selection Committee shall recommend appointment to the posts on contract basis not exceeding a period of five years and the contract may be renewed on similar terms by the Board on the recommendation of the Director.

Note 3 — In the absence of the Director, any Member of the staff of the Institute who is appointed to perform the current duties of the Director shall be the Chairman of the Selection Committees in the place of the Director.

Note 4 — In the absence of the Dean, the Director may nominate any member of the staff of the Institute to work on the Selection Committees in his place.

Note 5 — Where a post is to be filled by invitation, the Chairman may, at his discretion, constitute such ad hoc Selection Committees, as circumstances of each case may require.

Note 6 — Notwithstanding anything contained in these Statutes, the Director shall have the power to make appointments of persons under "approved" projects in such manner as it may deem appropriate. The Registrar shall maintain a schedule of such "approved" projects.

Note 7 — If the post is to be filled by advertisement, the terms and conditions of the post shall be advertised by the Registrar and all applications received within the date specified in the advertisement shall be considered by the Selection committee :

Provided that the Selection Committee may for sufficient reasons consider any application received after the date so specified.

Note 8 — The Selection Commitee shall examine the credentials of all persons who have applied and may also consider other suitable names suggested, if any, by a member of the Selection Committee or brought otherwise to the notice of Committee. The Selection committee may interview any of the candidates as the Chairman may think fit, and shall made its recommendations to the Board or the Director as the case may be, the names of the selected candidates being arranged in order of merit.

Note 9 — No act or proceedings of any Selection Committee shall be called in question on the ground merely of the absence of any member or members of the Selection Committee.

Note 10 — The Registrar shall give notice of the meeting to the members of the Committee at least a fortnight before the date of the meeting.

Note 11 — Unless otherwise provided for under these Statutes, the Selection Committee constituted for the purpose of making recommendations for appointment to a post shall be eligible to exercise its functions in relation to that post until the time the appointment is made.

Note 12 — Director with the approval of the Board can relax the eligibility conditions in respect of any of the posts mentioned in paragraph 3.6.

Note 13 — All appointments made at the Institute shall be reported to the Board at its next meeting.

One third of the total members of the Board, senate and all the Committees shall form a quorum for a meeting. Provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, it shall be held on the same day after at least half an hour from the time appointed for holding the meeting and that the members so present shall constitute the quorum.

The provisions in these Statutes regarding notices of the meetings, inclusion of items in the agenda and confirmation of the minutes applicable to the meetings of the Board shall so far as may be, be followed in connection with the meetings of the Committee.

4. RECRUITMENT OF FACULTY

4.1 A candidate is to comply with the minimum qualification and experience indicated against each of the following category of posts. However, a relaxation in qualifcations and experience can be made in case of otherwise meritorious candidates, subject to the conditions laid down in these statutes else where.

4.1.1 Assistant Professor : Ph. D. with first class or equivalent grade at the preceding degree in the appropriate branch with a very good academic record throughout and at least 5 years of teaching/research/industrial experience with published work of high quality.

4.1.2 Associate Professor : Ph. D. with first class or equivalent grade at the preceding degree in the appropriate branch with a very good academic record throughout and at least 8 years of teaching/research/industrial experience with published work of high quality and an established reputation of having made seminal contribution to knowledge in pharmaceutical and allied areas.

4.1.3 Professor : Ph. D with first class or equivalent grade at the preceding degree in the appropriate branch with a very good academic record throughout and at least 10 years of tecahing/research/industrial experience with published work of high quality well recognized and established reputation of having made conspicuous seminal contribution to knowledge in pharmaceutical and allied areas.

4.2 The recruitment shall be made on the recommendation of a Selection Committee constituted in accordance with para 3.6 of the Statutes of NIPER.

4.3 The recommendations of the Selection Committee shall be placed before the Board for approval.

4.4 Appointment of an exceptionally well qualified candidate may be made on *ad hoc*/Supernumery basis by the Director after an interview by a special committee consisting of the Director, the Dean and the Head of the concerned department.

4.5 The Director shall bring such *ad hoc* appointments to the notice of the Board at next meeting.

4.6 *Ad hoc* appointment shall not exceed 5-10% of the total faculty staff.

4.7 An *ad hoc* appointment shall have to go through regular selection within one year against a normal vacancy in accordance with paras 4.2 and 4.3 of the statutes of NIPER.

5. CAREER ADVANCEMENT SCHEME :

5.1 There should be provision for placement in the next higher grade from Assistant Professor to Associate Professor and from Associate Professor to Professor after 5 years of satisfactory service. This should be based on a very strict selection process. The confidence in this system will depend upon putting in place an effective and well functioning system of performance appraisal. This must include consideration of the following :

(a) Faculty's annual appraisal reports.

(b) Evaluation record of each year by the students

(c) Record of publications, reports, patents, etc.,

(d) Contribution made by the faculty for development of the Institute,

(e) Recognition received from outside agencies in the form of projects, awards etc.

These reports and records of achievements would be examined by two external experts, whose recommendations shall be placed before the Selection Committee constituted in accordance with para 3.6 of the Statutes of the institute. The candidates shall be interviewed by the Selection committee. On the recommendations of the Committee, further action to placement in the next highter grade or otherwise sahll be taken.

5.2 The recommendations of the Selection Committee shall be placed before the Board for approval.

5.3 The total number of faculty position in a Department shall remain fixed but flexibility shall be allowed for upgrading the respective positions for the incumbent. This way the merit of a faculty member shall be recognised irrespective of the availability of a post in the higher cadre. This provision should be used very judiciously in the larger interest of the Institute.

5.4 The placement in the next higher grade in accordance with para 5.1 above shall not interfere with the provision of lateral entry by direct recruitment. The faculty member placed in the next higher grade under the scheme shall however, get all the privileges of the higher post.

6. **REVIEW OF CONTRACTS OF THE FACULTY**

6.1 The NIPER adopt a policy of making appointments on contract basis. The Period of contract laid is five years.

6.2 A Contract Review Committees may be constituted with the following composition :

—Director, Chairman

—Dean

—Head of the Respective Department

—Two Experts from outside the NIPER.

6.3 Other procedures shall be as prescribed under Clauses 5.1. to 5.2 of the Statutes.

7. **SEARCH FOR NEW FACULTY MEMBERS**

7.1 The talent search need be carried out through personal contacts. If a sufficient number of prospective candidates can be identified abroad, a trip by the Director can be organised for a visit to interview the candidates and determine their suitability.

7.2 The recommendations of the Director, the credentials of respective candidates can be considered by a duly appointed Selection Committees as laid down under Para 3.6 of the Statutes.

7.3 The usual procedure of advertisement in national and international media should continue to be followed for the necessary follow-up.

8. **EXCELLENCE AS THE HALLMARK**

8.1 At the NIPER excellence is to remain the distinguishing feature. The quality is to be maintained at all levels if the institute is to justify its creation and maintenance to service the best of the national interest.

8.2 While reviewing the contracts, the promotion of the faculty already in position, recruitment of new faculty, and even in making *ad hoc* appointments, the quality should be the ultimate criterion. The spirit of excellence should not be compromised.

9. **APPOINTMENT OF DIRECTOR**

The appointment shall be for a 5 year term, renewable for one more term of 5 years provided that the upper age limit does not go beyond 65 years.

Amended vide letter No. 52 (8)/98-PI-IV dated 16th October, 2001

Amendment : The appointment shall be for a 5 years term, renewable for one more term up to 5 years.

10. Appointment of a Professor of Eminence from amongst scientists of outstanding and exceptional merit, whether from within or from outside, may be made at a fixed salary as applicable to such Professor of Eminence in the Indian Institute of Technology.

11. **ESTABLISHMENT OF ENDOWMENT CHAIRS**

Selection to these chairs should be even more rigorous than usal. The emoluments for the chairs shall be fixed by the Selection Committee on the basis of the conditions set by the donor and accepted by the Institute in this regard. The Selection Committee shall record the basis for such selection.

12. **PAY STRUCTURE AND RELATED ISSUES**

12.1 The pay structure shall be comparable with that applicable to the faculty in the Indian Institute of Technology (IITs)

12.2 The pay scales of the faculty shall be kept as applicable to the faculty of Indian Institute of Technology. It implies that the current pay scales be as below :

Category	Pay Scales
Lecturer	8000-275-13500
Lecturer (Senior Scale)	10,000-325-15200
Assistant Professor	12,000-420-18300
Associate Professor	16,400-450-20000
Professor	18400-500-22400
Director	25000 (Fixed)
Professor of Eminence	25000 (Fixed)
Endowment Chairs	By negotiation

12.3 Any decision with regard to the revision of pay scales in IITs in the future shall be applicable to the faculty of NIPER.

13. **OTHER AMENITIES/ALLOWANCES**

13.1 The faculty of NIPER shall be entitled to Dearness Allowance, Medical Allowance, House Rent Allowance. Transport Allowance, City Compensatory Allowance, LTC and other allowances and loans as applicable in I.I.Ts.

13.2 In addition, the faculty of the Institute shall be given the following special allowances to help them in their professional development.

13.2.1 **MEMBERSHIP OF PROFESSIONAL SOCIETIES/PROCUREMENT OF JOURNALS**

Every faculty member shall get 50% subsidy on the cost of membership or of the journals upto a maximum of Rs. 5,000/- per year, which shall be paid on production of vouchers.

13.2.2 **BOOK ALLOWANCE**

Every faculty member shall get a book allowance upto maximum of Rs. 5000 per year, which shall be paid on production of vouchers. The books shall ultimately form a part of the Institute's Library accession.

13.2.3 **DEPUTATION TO ATTEND CONFERENCE**

Faculty members may be permitted to attend scientific and technical conferences to present their work. Such deputation will not exceed one national conference per year and one international conference every 3 years provided the paper for presentation has been accepted by the organisers of the conference or the concerned faculty member has been invited to deliver a lecture or to preside at a conference/ meeting or is an office bearer at the conference.

14 **POWERS, DUTIES AND FUNCTIONS OF THE DIRECTOR, DEAN, HEAD OF DEPARTMENT AND REGISTRAR OF THE INSTITUTE**

The powers, duties and functions of the Director, Dean, Head of Department and Registrar, specified in column 1 of Table II below shall be those specified in the corresponding entry in column 2.

TABLE II

(1)		(2)
Director	(a)	To incur expenditure in accordance with the procedure as may be laid down by the Board from time to time.
	(b)	To fix, on the recommendations of the Selection Committee, the initial pay an incumbent at a stage higher than the minimum of the scale but not involving more than five increments in respect of posts to which appointment can be made by him under the powers vested in him by the provisions of the Act.

(1)	(2)
	(c) In exceptional cases and subject to availability of funds, the Director shall have the power to create temporary posts with the approval of the Chairman for not more than two years' duration on approved scales of pay and report to the Board provided that no such post, of which the Director is not the appointing authority, shall be so created.
	(d) To appoint the Dean from amongst the Professors of the Institute.
	(e) To designate from amongst the Professsors of a department as head of the Department. If there is no Professor in a department the Director at his discretion may designate an Associate/Assistant Professor of that department as Head of the Department for interim period.
	(f) To appoint Warden(s) from amongst the Professors/Associate Professors/Assistant Professors of the Institute.
	(g) To appoint such persons as the Director may feeel deem fit to perform the duties of the Registrar when the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office.
	(h) The power of a Head of Department for purposes of rules in the Accounts Code, the Fundamental and Supplementary Rules and other rules of the Government in so far as they are applicable or may be made applicable to the conduct of the business of the Institute.
	(i) All contracts for and on behalf of the Institute, except the one between the Institute and the Director, shall when authorised by a resolution of the Board passed in that behalf, be in writing and be expressed to be made in the name of the Instiute and every such contract shall be executed on behalf of the Institute by the Director or Registrar, but the Director/Registrar shall not be personally liable in respect of anything under such contract.
	(j) To convene or cause to be convened meetings of the Board, the Senate, Academic Planning and Committee, Finance Committee and laboratory Services, Building and Works Committee.
	(k) To invite persons from outside the Institute as Visiting faculty or consultants in areas where adequate expertise is not available in the Institute on terms to be decided by him on the recommendation of the Academic Planning and Development Committee.
	(l) To waive recovery of over-payment, to wirte off irrecoverable losses and of irrecoverable value of stores lost or rendered unserviceable due to fair wear and tear upto an amount to be decided by the Board in any individual case subject to such stipulations as may be made by the Board from time to time.
	(m) To appoint such person as he may deem fit to perform the duties of the office when the office of the Director is vacant or when the Director is, by reason of illness, absence, or any other cause, unable to perform the duties of his office, provided however, such arrangements shall not exceed 30 days. The current charge arrangements for the post of Director, beyond 30 days should have the approval of the Board of Governors.
	(n) May, with the approval of the Board, delegate any of his powers, responsibilities and authorities vested in him by the Act and the Statutes to one or more members of academic or administrative staff of the Institute.

(1)	(2)
	(o) In the absence of the Chairman to be the ex-officio Chairman of the Board and in the absence of the Chairman to preside at the convocations of the Institute for conferring degrees and be entitled to be present at, and to address, any meeting of any authority or other body of the Institute, but shall not be entitled to vote there unless he is a member of such authority or body. (p) To see that the Act, the Statutes, Ordinances and the Regulations are duly observed, and shall have all powers necessary to ensure such observance. (q) To take disciplinary action against the employees, and to suspend them pending inquiry to administer warnings to them or to impose any penalty in accordance with the rules. Provided that no such penalty shall be imposed unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard and showing cause against the action proposed to be taken in regard to him. An appeal shall lie to the Chairman against any order of the Director imposing any of the penalties. (r) Shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment. Provided that the Visitor may direct that a Director, whose term of office has expired, shall continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified in the direction. (s) Notwithstanding anything contained in clause (r) above a person appointed as Director shall, if he completes the age of sixty five years during the term of his office or any extension thereof, shall retire from office. Amended vide letter no. 52/8/98-PI-III/NIPER dated 28 February, 2002. Amendment : BOG resolved to delete the clause 14 (s) w.e.f. date of approval of amendment to clause 9 of Statutes of NIPER.
Dean	(a) To assist the Director in academic and administrative work and in maintaining liaison with other institutions of higher learning and research and also with industrial undertaking and other employees. (b) Shall hold office for a period of three years and be eligible for reappointment for one more term provided the upper age limit does not go beyond 62 years.
Head of Department	To perform such functions as may be determined by the Director.
Registrar	(a) To invite bodies entitled to nominate representatives of the Board to do so within a reasonable time not ordinarily exceeding four weeks from the date on which such invitations are issued by him. The same procedure shall be followed for filling casual vacanies of the Board. (b) To be ex-officio Secretary of the Board, the Senate, the Finance Committee, Laboratory Services, Building and Works Committee but shall not be deemed to be a member of any of these authorities unless otherwise specified. (c) To be the custodian of the records, the common seal and such other property of the Institute as the Board shall commit to his charge. (d) To issue all notices convening meetings of the Board, the Senate, the Board of Studies and of any committees appointed by the authorities of the Institute. (e) To keep the minutes of all the meetings of the Board, the Senate, and of any other committees appointed by the authorities of the Institute.

(1)	(2)
	(f) To conduct the official correspondance of the Board, the Senate and the various committees.
	(g) to arrange for and superintend the examinations of the Institute in accordance with the manner preseribed by the Ordinances.
	(h) Subject to the control of the Board the Registrar shall :—
	(1) Exercise general supervision over the funds of the Institute and shall advise it regarding the financial matters of the Institute.
	(2) Perform such other financial functions as may be assigned to him by the Director or as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.
	Provided that the Registrar shall not incur any expenditure or make any investment without the previous approval of the Director.
	(3) Hold and manage the property and investments of the Institute including trust and endowed property.
	(4) Ensure that the limits fixed by the Board for recurring and non-recurring expenditute for a year are not exceeded and that all moneys are utilised on the purposes for which they are granted or alloted.
	(5) Be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the Institute and for their presentation to the Board.
	(6) Keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments.
	(7) Watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of collection employed.
	(8) Ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and that stock-checking is conducted, of equipment and other consumable materials in all Offices, Departments, Centres and Laboratories of the Institute.
	(9) Call for explanation for unauthorised expenditute and for other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault.
	(10) Call for from any Office, Department, Centre and Laboratory maintained by the Institute any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties.
	(11) The receipt of the Registrar or of the person or persons duly authorised in this behalf by the Director for any money payable to the Institute shall be sufficient discharge for payment of such money.
	(i) To represent the Institute in suits or proceedings by or against the Institute, sign powers of attorney and verify pleading or deput his representative for the purpose.
	(j) To perform such other duties as may be specified in the Statues, the Ordinances or the Regulations or as may be required, from time to time, by the Board or the Director.

15. **Provident Fund, Pension and Gratuity Scheme**

All the employees of NIPER may opt between General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme and Contributory Provident Fund Rules (India), 1962-cum-Gratuity Scheme as amended from time to time.

16. **Vacation and leave**

The employees of the Institute shall be governed by Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 as amended from time to time subject to variations/additions indicated hereafter :

(a) A maximum of two spells of Earned Leave in normal course and a third spell in case of emergency.

(b) provision for sabbatical leave as in IIT may be made.

(c) provision of Earned Leave as in vacation Department may be made.

17. **Residential Accommodation for the Staff**

(a) The Institute may allot the unfurnished house, within the NIPER campus under the provision of "Allotment of residences (NIPER) Rules" to be framed by BOG.

(b) The BOG may allot furnished or unfurnished accommodation without levying a licence fee or levying such fee at concessional rates to any category of staff, if it considers necessary to do so in the interest of the Institute.

18. **Travelling Allowances**

All employees of the Institute shall be entitled to travelling and daily allowance as per Supplementary Rules (Travelling Allowances) of Govt. of India as amended from time to time subject to the following variations/ additions :

(a) Reimbursement of local conveyance charges shall be on need basis and in specific cases only which will be decided by the Director of the Institute.

(b) For Group 'A' Officers, the D.A. on tour (including hotel charges) will be as per the CSIR pattern.

19. **Medical Attendance**

The employees of the Insitute shall be governed by the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 as amended from time to time subject to variations/additions as proposed :

(a) Cost of pathological tests from private laboratories on the advice of AMA may be limited to the rates of PGI, Chandigarh/AIIMS, New Delhi.

(b) Cost of dental treatment from the Dental Surgeon from private AMA shall also be limited to the rates of PGI, Chandigarh/AIIMS, New Delhi.

20. **Conduct Rules**

The employees of the Institue shall be governed by the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 as amended from time to time.

21. **Discipline and Appeals**

The employees of the Institute shall be governed by the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 as amended from time to time.

22. **Consultancy**

The employees of the Institute may undertake contract research and provide consultancy and technical services as laid down in Schedule 'A'.

23. **Miscellaneous**

Any modification, change and amendments or repeal of the whole or part of the Statutes shall be subject to the provisions of Section 27 of the Act.

[No. F. 52(7)/2001-PC-I (NIPER)]

SHARAD GUPTA, Jt. Secy.

APPENDIX-A

(Refer Statute 22)

NIPER Faculty may undertake contract research and provide consultancy and technical services.

1. **Contract Research**

Contract research shall comprise all R & D undertaken through specific contractual arrangement agreed upon for the purpose and shall cover the :

1.1a **Sponsored Projects :** Projects wholly funded by the client having specified R & D objectives, and well defined expected project output/results, generally culminating in generation of intellectual property. Sponsored projects could be multi-client also, with the sharing the project funding and research results.

1.1b **Collaborative Projects :** Projects partially funded by the client and supplemented by provision of inputs from the Institute such as extra manpower, production/fabrication of product in bulk for testing infrastructural facilities etc. Collaborative projects could be for upscaling/proving of laboratory level knowhow, technology development or generation of intellectual property etc. The expected project output/results are well defined.

1.1c **Grant-in-Aid Projects :** Grant-in-Aid Projects are normally for supporting for basic or exploratory research or for maintaining or creating testing and infrastructural facilities. These projects shall involve grant by way of financial inputs, either in full or in part, assistance in kind e.g. equipment, training to supplement NIPER's efforts in ongoing or new R & D Projects or for creating new capabilities/facilities.

1.2 **Costing of contract Research Projects**

1.2.1 The charges for contract research shall include expenses on account of :

(a) Cost of man-days of staff deployed.

(b) Cost of consumables/raw materials/components with 25% overheads.

(c) Cost of physical inputs/services/utilities with 25% overheads.

(d) Equipment usage cost/cost of equipment procured specifically for the project.

(e) Any external payment envisaged.

(f) TA/DA.

(g) Contingencies.

Total expenses = sum of a to g.

1.2.2 Intellectual Fee : Minimum of 33.3% of total expenses as at 1.2.1.

1.2.3 For any sponsored research, rights for licensing intellectual property shall rest with NIPER. In case of collaborative research, such rights shall be held by NIPER and collaborator; Licensing for commercial exploitation of the intellectual property generated out of contract research shall be held jointly.

NIPER shall charge an adequate amount as fee. This could be a lumpsum and or recurring royalty.

N.B. Wherever feasible the sponsorer shall be given a non-exclusive licence fee with an exclusive licence for a limited period of time, normally not exceeding 5 years, for commercial exploitation of the intellectual property.

1.2.4 Project charges = Total expenses+intellectual fee+licence fee.

1.3 **Sharin of the Monies by Staff**

Forty per cent of the intellectual fee or net surplus (remaining after accounting for all direct or indirect project expenditure) whichever is lower arising from R & D contracted is to be shared with the staff.

The pattern of sharing for staff is as follows :

	Staff	Share
(i)	Innovators & Principal Contributors	40%
(ii)	S & T (supporting staff)	35%
(iii)	Remaining supporting staff of the NIPER	20%
(iv)	Welfare fund	5%

2. **Consultancy**

All consultancy services in the NIPER shall be institutional. There shall be two categories of consultancy viz.

2.1.1 **Advisory Consultancy**

Wherein the services would involve scientific, technical, engineering or other professional advice, provided to a client purely on the basis of available expert knowledge and experience of individual(s), rendered outside NIPER and not envisaging use of any facilities of the NIPER and also not involving any kind of survey, detailed study or report preparation/submission.

2.1.2 **General Consultancy**

Wherein the services shall comprise scientific, technical, engineering or other professional advice/assistance based on the available knowledge base/expertise of NIPER, and envisaging only minimum use of laboratory facilities for essential experimentation needed to meet the objectives of the consultancy assignment. General consultancy may *inter alia* cover :—

— Preparation of literature survey/feasibility studies, state of the art/project/technology forecasting reports;

— interpretation and validation of test results and data, risks and hazard/environment impact analysis etc.,

— design engineering;

— assistance in erection, commissioning, operation, fabrication/tendering and purchase of equipment, trouble-shooting, productivity improvements, pollution abatement/control measures, engery conservation, waste utilisation, technology assessement/evaluation.

2.1.3 Any consultancy assignment which does not strictly fall under the category of Advisory Consultancy, shall be taken up as General Consultancy.

2.2 **COSTING OF CONSULTANCY PROJECT**

2.2.1 The charges for consultancy project shall include expenses on account of

a. cost of man-days of staff deployed

b. cost of physical inputs/services/utilities/consumables raw materials/component with 25% overheads

c. equipment usage cost

external payment envisaged e.g. to outside consultants, for obtaining data, hiring of infrastructural facilities.

TA/DA.

Contingencies.

NOTE : Total Expenses = sum of a to f.

2.2.2 **Intellectual fee**

This should commensurate with the quality of inputs provided and the likely benefits to accrue to the client as a result of the consultancy. While there is no ceiling on the upper limit of intellectual fee to be charged, it should not be less than the estimated manpower charges.

2.3 **DISTRIBUTION OF HONORARIUM**

For Advisory Consultancy

Distributable amount upto a maximum of 2/3rd of intellectual fee as follows :—

Team of consultants	95%
Welfare Fund	5%

For General Consultancy

Distributable amount upto a maximum of 2/3rd of intellectual fee or 300% of the manpower charges levied, whichever is less, as follows :—

Team of Consultants	65%
Other S&T Staff	15%
Remaining Supporting Staff	15%
Welfare Fund	5%

INTELLECTUAL PROPERTY

Intellectual Property shall include patents, copyright, registered design trademark, knowhow for a process/product/ design and computer software. Intellectual property generated shall be of two types.

UNENCUMBERED

(i) Developed through wholly in-house R&D programmes/projects. In such cases ownership of intellectual property is solely that of NIPER, and consequently the licensing rights are that of NIPER alone.

(ii) Intellectual property developed through contract research and subsequently rendered unencumbered as per contractual arrangement with the client. In such cases licensing of intellectual property by NIPER would be in accordance with the terms & conditions agreed upon with respect to third party licensing with the client.

ENCUMBERED

Developed through contract research i.e. total or partial financial support, and with/without technical inputs from users/clients. In such cases, ownership and licensing of intellectual property for commercial utilisation shall be governed by NIPER's obligations to client in the matter.

LICENSING OF INTELLECTUAL PROPERTY

Licensing of intellectual property shall mean granting the licencee the right to utilise the intellectual property and sell or use the resulting product(s) either for commercial/captive purpose or as otherwise agreed to.

PRICING OF INTELLECTUAL PROPERTY

There is not rigid formula for determing the price of intellectual property and thus estimates vary from case to case. The price of knowhow/intellectual property normally ranges between 2% to 10% of either the plant & equipment cost or projected turnover of the unit for a period of 5 years's production.

To arrive at price of intellectual property following factors will be kept in view :

(i) cost of development.

(ii) estimate of net benefit to be derived by the licencee.

(iii) size and number of potential licencees.

(iv) comparative cost of imported intellectual property,

(v) possibility of intellectual property being pirated.

(vi) Opportunity value.

TECHNICAL SERVICES

Technical services are meant to render to the clients/customers, assistance of a minor nature based on available knowledge, expertise, skill and facilities of the institute. Technical services shall comprise :

— Testing & Analysis (including certification and calibration)

— Training

— Technical assistance of an advisory nature

— Fabrication/production of special products

— Repair and maintenance

— Supply of information/database.

CHARGES FOR TECHNICAL SERVICES

Charges shall comprise of (A+B) below except for supply of information/databases.

A. Estimated expenditure on :

(i) Manpower (at prescribed rates).

(ii) Physical inputs/services/utilities etc. including overheads at 25%.

(iii) Raw material/consumable components with 25% overheads.

(iv) Equipment usage depreciation/replacement cost.

(v) any other out of pocket expenditure.

B. Intellectual fee/opportunity cost. The quantum shall be at the discretion of the Director considering the nature of client and his paying capacity.

DISTRIBUTION OF MONIES

Twenty per cent of the intellectual fee or net surplus (remaining after accounting for all direct and indirect expenditure for the service) whichever is lower is to be shared with the staff. The pattern of sharing for staff shall be same as given in 1.3.

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 31अक्तूबर, 2003

सा. का. नि. 392.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 19-4-2003 को पृष्ठ 934 पर प्रकाशित, भारत सरकार संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना सा. का. नि. 169, तारीख 3 अप्रैल 2003 के स्तभ 12 में ''केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त, संगठनों के ऐसे अधिकारी'' के स्थान पर ''केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी'' पढ़े।

[फा. सं० ए-12018/6/2000-प्रशासन -II]

सतीश वधवा, अवर सचिव (प्रशासन II)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st October, 2003

G.S.R. 392.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Communications and Information Technology (Department of Telecommunications) number G.S.R. 169, dated the 3rd April, 2003, published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 19th April, 2003 at pages 935 to 937-at page 936, in column 12 for "**Officers under the Central or State or Union Territory Governments/Public Sector Undertakings or Semi Government or Autonomous Organisation**" read "**Officers under the Central Government**".

[File No. A-12018/6/2000-Admn.-II]

SATISH WADHWA, Under Secy. (Admn. II)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2003

सा० का० नि० 393.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, पौध संरक्षण, संगरोध और भण्डारण निदेशालय, निदेशक, केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला, भर्ती नियम, 1982 को आगे और संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत: :—

1. (1) इन नियमों को पौध संरक्षण, संगरोध और भण्डारण निदेशालय, निदेशक, केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला, भर्ती संशोधन नियम, 2003 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजकीय राजपत्र में इनकी प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पौध संरक्षण, संगरोध और भण्डारण निदेशालय, निदेशक, केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला, भर्ती नियम, 1982 की अनुसूची में, अनुसूची के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, नामत: :—

अनुसूची

1. पद का नाम	:	अपर पादप संरक्षण सलाहकार-सह-निदेशक, केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला
2. पदों की संख्या	:	1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''क'' राजपत्रित
4. वेतनमान	:	14300—18300/-रु.
5. चयनपद अथवा अचयन पद	:	लागू नहीं होता
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं : हां, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : **आवश्यक :**

(1) किसी मान्यताप्राप्त या समकक्ष विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या कृषिविज्ञान या वनस्पति रोग विज्ञान या रसायन विज्ञान (जैव) में डाक्ट्रेक्ट डिग्री या समतुल्य या रसायन इंजीनियरी में मास्टर डिग्री

या

(2)(क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-2 (लाइसेंसिएट अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग (2) में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) में अनुबद्ध शर्तें पूरी करनी चाहिए।

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भेषेजगुण विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता या समतुल्य।

(II) वनस्पति रक्षण कार्य, जिसके अंतर्गत अनुसंधान का पर्याप्त अनुभव भी है, या कीटनाशी विकास और विश्लेषण/कीटनाशी अपशिष्ट विश्लेषण में पर्यवेक्षीय हैसियत में 12 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

या

चिकित्सा कार्मिकों की दशा में कीटनाशी और स्वास्थ्य कार्य में बचाव, परीक्षण और मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य का 12 वर्ष का अनुभव या रसायन के पैक करने और लेबल लगाने में पर्यवेक्षकीय हैसियत में 12 वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी 1 : अर्हताएं सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है (हैं) यदि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय :

(i) कीटनाशी के रजिस्ट्रीकरण या कीटनाशी विधान को लागू करने या दोनों में अनुभव।

(ii) कीटनाशी प्रयोगशाला चलाने और अनुसंधान का अनुभव।

(iii) कीटनाशी के गुण और सुरक्षा से संबंधित योजना, संगठन और समन्वयन परियोजनाओं का अनुभव।

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु : लागू नहीं होता

10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : एक वर्ष

11.	भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधे भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है)
12.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/लोक उपक्रमों/अर्द्ध-सरकारी, स्वायत्त या कानूनी अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो सदृश पद धारण करते हैं; या (ii) जिन्होंने 14300-18300/- रुपये के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 2 वर्ष की सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 12000-18300/- रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 5 वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ-8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन या किसी अन्य संगठन/केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणत: 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख की स्थिति अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
13.	यदि विभाग की प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	: **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :** 1. कृषि और सहकारिता विभाग के पौध संरक्षण प्रभाग को देखने वाले संयुक्त सचिव —अध्यक्ष 2. कृषि और सहकारिता विभाग के प्रशासन/स्थापना प्रभाग के कार्यभार को देखने वाले संयुक्त सचिव —सदस्य 3. भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार —सदस्य 4. कृषि और सहकारिता विभाग के पौध संरक्षण प्रभाग के कार्यभार को देखने वाले निदेशक/उप सचिव —सदस्य
14.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	: प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

[सं. 29-5/2002-पी. पी.-II]

सतवन्त सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 7th August, 2003

G.S.R. 393.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President here by makes the following rules further to amend the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Director, Central Insecticides Laboratory, Recruitment Rules, 1982, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Director, Central Insecticides Laboratory, Recruitment Amendment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Director, Central Insecticides Laboratory, Recruitment Rules, 1982, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

1.	Name of the post	: Additional Plant Protection Adviser-cum-Director Central Insecticides Laboratory
2.	Number of posts	: 1* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	: General Central Service, Group 'A' Gazetted
4.	Scale of pay	: Rs. 14300—18300
5.	Whether selection post or non-selection post	: Not applicable
6.	Age limit for direct recruits	: Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.**—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim).
7.	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	: Yes for direct recruits
8.	Educational and other qualifications for direct recruits	: **Essential :** (1) Doctorate degree in Entomology or Nematology or Plant Pathology or Chemistry (Organic) or Masters degree in Chemical Engineering from a recognised University or equivalent. OR (2) (a) A recognised medical qualifications included in the 1st or the 2nd Scheduled or Part II of the Third Scheduled (other than Licentiate Qualifications), to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should fulfil the conditions stipulated in Sub-section (3) of Section 930 of Section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956. (b) (i) Post Graduate qualification in Pharmacology from a recognised University or equivalent. (ii) 12 Years' practical experience in a supervisory capacity of Plant Protection work including adequate experience of research or in the development and analysis of pesticides/ pesticides residues analysis. OR In case of Medical Personnel 12 years' experience of research and development work area of safety, testing and evaluation of Pesticides and health effects. OR 12 years' experience in a supervisory capacity in packaging and labelling of chemicals. **Note 1 :** The qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the UPSC is of

		the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. **Desirable :** (i) Experience in registration pesticides or enforcement of pesticides legislation or both. (ii) Experience of running an insecticides laboratory and research experience. (iii) Experience of planning, organisation and coordination projects relating to quality and safety of pesticides.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	: Not applicable
10.	Period of probation, if any	: One year
11.	Method of recruitment or by promotion or deputation/absorption, percentage of posts to be filled by various methods	: By direct recruitment failing which by deputation (including short-term contract).
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/absortpion to be made	: **Deputation (including short-term contract)** Officers under the Central/State Government Public Undertakings/Semi-Governments, Autonomous or Statutory Research Institution or Councils :— (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with two years' service in posts in the scale of pay of Rs. 14300-18300/- or equivalent; or (iii) with five years' service in posts in the scale of Rs. 12000—16500/- or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. 8. (The period of deputation including period of deputation another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 5 years). The maximum age limit for appointment by deputation shall be, not exceeding 56 years, as one the closing date of receipt of applications.
13.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	: **Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :** 1. Joint Secretary looking after Plant Protection Division Department of Agriculture & Cooperation —Chairman 2. Joint Secretary looking after Admn./Estt. Division Department of Agriculture & Cooperation —Member 3. Plant Protection Adviser to the Government of India —Member 4. Director/Deputy Secretary looking after Plant Protection Division Department of Agriculture & Cooperation —Member
14.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	: Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[No. 29-5/2002-PP. II]

SATWANT SINGH, Under Secy.

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2003

सा. का. नि. 394.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली दुग्ध योजना मैकेनिक (अभियांत्रिकी) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 2003 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, नामत: —

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—(1) ये नियम कृषि मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, दिल्ली दुग्ध योजना, मैकेनिक (अभियांत्रिकी) समूह 'ग' पद भर्ती नियमावली, 2003 कहलाएंगे।

   (2) ये भारत के राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तारीख से लागू किए जाएंगे।

2. प्रविष्टि "चयन सह वरिष्ठता" के लिए स्तम्भ 5 में दिल्ली दुग्ध योजना मैकेनिक (अभियांत्रिकी) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 2003 की अनुसूची में, प्रविष्टि 'चयन' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फाइल संख्या 3-6/2003-प्रशासन -IV]

राधा मणी, अवर सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियमावली दिनांक 8 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 187 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

New Delhi, the 21st October, 2003

G.S.R. 394.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Delhi Milk Scheme Mechanic (Mechanical) (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2003 under the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Agriculture, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may by called the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry and Dairying, Delhi Milk Scheme, Mechanic (Mechanical), Group 'C' post Recruitment Rules, 2003.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Delhi Milk Scheme Mechanic (Mechanical) (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2003, in column 5, for the entry 'Selection-cum seniority', the entry "Selection" shall be substituted.

[File No. 3/6/2003-Admn-IV]

RADHA MANI, Under Secy.

Note:—The Principal Rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 187 dated, the 8th April, 2003.

जल संसाधन मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2003

सा. का. नि. 395.—जल संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में सर्वेक्षक अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन को अधिसूचित करते हुए दिनांक 29 मार्च, 2003 को भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं में निम्नलिखित शुद्धि की जाए :—

1. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सर्वेक्षक अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम 2003 (दिनांक 29 मार्च, 2003 का सा.का.नि. 138):—

   अनुसूची के कालम 5 में "क्या चयन पद अथवा अचयन पद है" के लिए इस कालम के तहत मौजूदा प्रविष्टि अर्थात् "चयन-सह-वरिष्ठता" के स्थान पर प्रविष्टि "चयन" पढ़ा जाए।

[फाइल संख्या- 21/16/99-जी डब्ल्यू-I]

सोहन एस. सैनी, अवर सचिव

टिप्पणी :— भारत के राजपत्र में मुख्य नियम 1 दिसंबर, 1973 के सा.का.नि. 1304 के तहत प्रकाशित किए गए थे और बाद में 8 फरवरी, 1986 के सा.का.नि. 114 और 29 मार्च, 2003 के सा.का.नि. 138 के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th October, 2003

G.S.R 395.—In the following Notifications published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 29th March 2003 notifying the amendment to Recruitment Rules for the post of Officer Surveyor in the Central Ground Water Board, a subordinate office of the Ministry of Water Resource, the following correction may be made :

1. The Central Ground Water Board (Officer Surveyor) Recruitment (Amendment) Rules, 2003 (G.S.R. 138 dated 29th March, 2003) :—

In Column 5 of the Schedule relating to "Whether selection post or non-selection post" for the existing entry under this column viz. 'Selection-cum-seniority' the entry "Selection" may be read.

[File No. 21/16/99-GW-I]
SOHAN S. SAINI, Under Secy.

Note:- The Principal Rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 1304 dated 1st December, 1973 and Subsequently amended vide G.S.R. 114 dated 8th February, 1986 and G.S.R 138 dated 29th March, 2003.

श्रम मंत्रालय

(रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2003

सा. का. नि. 396.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम) समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय) पद भर्ती नियम, 1995 को, जहां तक उनका सम्बन्ध कार्यालय अधीक्षक के पद से है उन बातों के सिवाए आंशिक रूप से अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के, प्रशिक्षण निदेशालय की महिला इकाई में समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण निदेशालय (महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम) कार्यालय अधीक्षक समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय) पद भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1.	पद का नाम	: कार्यालय अधीक्षक
2.	पदों की संख्या	: 11* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
3.	वर्गीकरण	: साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ख'', राजपत्रित, अनुसचिवीय
4.	वेतनमान	: 5500-175-9000 रुपए
5.	चयन अथवा अचयन पद	: चयन
6.	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	: लागू नहीं होता
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	: लागू नहीं होता
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	: लागू नहीं होता
9.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	: लागू नहीं होता
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
11.	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	: 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 75 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा। **टिप्पण** :- उन्नयन पूर्व 1600-2600/- रु. (समूह 'ग') के वेतनमान में उन्नयित पद पर नियुक्ति के लिए पद के विद्यमान पदधारी की उपयुक्तता सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारण की जाएगी। यदि उपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो वह पद के आरंभिक गठन पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा/जाएगी। यदि उपयुक्त निर्धारित नहीं किया जाता है तो वह 5000-8000/- रु. (समूह 'ग') के पुनरीक्षित वेतनमान में बना रहेगा/रहेगी और उसके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्वलोकन किया जाएगा।
12.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	: **प्रोन्नति** : ऐसा लेखाकार (4500-7000/- रु.) जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा सेवा की है। **टिप्पण** :— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति** :— केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-8000/- रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है, या (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4500-7000/-रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है, और

(ख) स्थापन/रोकड़ /लेखा/क्रय मामलों में तीन वर्ष का अनुभव

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. महानिदेशक/संयुक्त सचिव, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय—अध्यक्ष
2. निदेशक प्रशिक्षण (महिला व्यवसाय), रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय —सदस्य
3. उप सचिव (प्रशासन), श्रम मंत्रालय—सदस्य
4. उप सचिव, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय— सदस्य

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[संख्या डी जी ई टी-ए.-12017(1)/2002/डब्ल्यू ओ टी]

के. के. मित्तल, निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF LABOUR

(Directorate General of Employment and Training)

New Delhi, the 31st October, 2003

G.S.R. 396.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in partial supersession of the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women) Group 'C' Non-Gazetted (Ministerial) posts Recruitment Rules 1995 so far as it relates to the post of Office Superintendent, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' Non-Gazetted (Ministerial) post in the Women's Units of the Directorate of Training, Directorate General of Employment & Training, namely :—

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women) Office Superintendent Group 'B' Non-Gazetted (Ministerial) posts Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rule.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of the post	:	Office Superintendent
2. Number of posts	:	11* (2003) *(Subject to variation dependent on work load).
3. Classification	:	General Central Civil Service, Group 'B' Non-Gazetted Ministerial
4. Scale of pay	:	Rs. 5500-175-9000/-
5. Whether selection or Non-Selection Post	:	Selection
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	:	Not applicable
7. Age limit for direct recruits	:	Not applicable
8. Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	:	Not applicable
10. Period of probation, if any	:	Two years for promotees
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	:	25% promotion failing which by deputation. 75% promotion failing which by deputation. 50% Deputation. **Note :** Suitability of the incumbent of the post in pre-upgraded scale of pay of Rs. 1600-2600/-(Group 'C') will be assessed by the competent authority for appointment to the upgraded post. If assessed suitable, he/she shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed "Not suitable" he/she shall continue to be in the revised scale of Rs. 5000-8000/- (Group 'C') and his/her case would be reviewed every year.
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which which promotion/deputation/absorption to be made	:	**Promotion :** Accountant (Rs. 4500-7000/- with six years regular service in the grade). **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation :** Officer from the Central Government or State Governments : (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/ Department; or (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Rs. 5000-8000/- or equivalent in the parent cadre/department ; or (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Rs. 4500-7000/- or equivalent in the parent cadre/department ; and

(b) three years experience in establishment/cash/accounts/purchase matters.

The departmental officers in the feeder category who are in the directline of promotion will not be eligible for consideration for appointment o n deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years on the closing date of the receipt of applications).

13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : **Group "B" Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :**

1. Director General/Joint Secretary Directorate General of Employment and Training. —Chairman
2. Director of Training (Women Occupation), Directorate General of Employment and Training. —Member
3. Deputy Secretary (Administration), Ministry of Labour. —Member.
4. Deputy Secretary Directorate General of Employment and Training. —Member

14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. : Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

[No. DGET-A-12017(1)/2002-WOT]

K. K. MITTAL, Director (Administration)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.